Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-estd.pwduk@gmail.com

पत्रांक 1008 / 124 व्यघ–सा0 / 2026 दिनांकः–25/07/2026

"कार्यालय ज्ञाप"

रिट याचिका संख्या 1404 / एस0एस0 / 2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 24.04.2026 को निम्न आदेश पारित किये गये, जिसका मुख्यअंश निम्नवत् है :–

25. The impugned order dated 22.10.2020, passed by the respondent no.3/The Chief Engineer, is set aside qua the petitioners.

26. The seniority of the petitioner no.1 on the post of Junior Engineer (Technical) shall be counted with effect from 03.01.2008, and the seniority of the petitioner no.2 shall be counted on the post of Junior Engineer (Technical) with effect from 20.05.2011.

27. The writ petition is allowed, accordingly.

28. Learned Senior Counsel appearing for the respondent nos. 6, 7, 16, 23, 25 and 28 submits that due to the pendency of the writ petition, the promotion exercise has been stalled for a long, therefore, directions may be issued to the respondent no.3/The Chief Engineer to initiate the promotion exercise with promptitude.

29. To it, learned State Counsel submits that since the petition has already been decided, the administrative department shall proceed to initiate the promotional exercise.

अग्रेत्तर यह भी अवगत कराना है कि माननीय लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या–40 / डी0बी0 / 2021 राय सिंह रौतेला बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक–04.11.2024 को निम्न आदेश पारित किये गये, जिसका मुख्यअंश निम्नवत हैः–

The Seniorty list dated 22.10.2020 Issued by in-charge Engineer-in-Chief and H.O.D, Public Works Department, Dehradun (Respondent No.3), is set aside qua Petitioner only. Respondent No. 3 is directed to prepare de novo Seniority list of JE (T). Petitioner shall be given Seniority and shall be considered for promotion on the post AE (civil) on Regular basis, from the date his junior was promoted, in the peculiar facts of the case.

माननीय अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक–04.11.2024 के अनुपालन इस कार्यालय के पत्र संख्या 393 / 191 व्यघ–सा0 / 16 दिनांक 29.05.2025 द्वारा प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया। जिसमें शासकीय पत्र संख्या 327640 / III (1) / 25–ई–84002 दिनांक 03.09.2025 द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त वित्तीय भार न होने के दृष्टिगत मा0 लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 04.11.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक–04.11.2024 के अनुपालन में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–08 तथा उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यॉत्रिक) सेवा नियमावली, 2007 के भाग–03 बिन्दु संख्या–05 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 653 / 124 व्यघ–सा0 / 2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची क्रमांक–01 से 148 तक प्रसारित करते हुये सूचीबद्ध कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) से अपेक्षा की गयी थी कि यदि किसी कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) को अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे अपना प्रत्यावेदन अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 29.05.2026 के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध करा दें। निर्धारित समायावधि के पश्चात् प्राप्त प्रत्यावेदन स्वीकृत नहीं होंगे तथा उक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों पर ही सम्यक रूप से विचार करते हुए अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।

तदोपरान्त इस कार्यालय के ज्ञाप दिनांक 29.05.2026 से प्रसारित कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची (क्रमांक–01 से 148 तक) पर निर्धारित समायावधि के अन्तर्गत प्राप्त कुल 15 आपत्तियों / प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 966 / 124 व्यघ–सा0 / 26 दिनांक 10.07.2026 द्वारा 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जिसके क्रम में समिति द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों / प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु अपने पत्रांक 982 / 124–सामान्य / 26 दिनांक 15.07.2026 से दिनांक 22.07.2026 को समिति की बैठक आहूत की गयी। समिति द्वारा आपत्तियों / प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर अपनी संस्तुति बैठक के कार्यवृत्त पत्र संख्या 1002 / 196–सामान्य / 26 दिनांक 22.07.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

शेष पृष्ठ 02 पर

क्र0 सं0	नाम / पदनाम / तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का कमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	श्री रमेश चन्द्र पन्त / अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, हरिद्वार।	115	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थी का कमांक-115 निर्धारित किया है एवं विभाग में नियुक्ति का पत्रांक-563/191 व्यध-सा0/17 दिनांक 10.08. 2018 अंकित है, जबकि प्रार्थी की शासन स्तर से नियमित पदोन्नति हेतु 01 वर्ष के शिथिलीकरण की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष व्यवस्थापन घ वर्ग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-374/63 जे0ई0 टी0-सामान्य/13 दिनांक 27.05.2013 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है (संलग्नक-1) एवं प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.05.2013 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून कार्यालय में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर योगदान किया गया है। (संलग्नक-2) महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं0-1404/2020 (दीप चन्द्र जोशी एवं V/S उत्तराखण्ड सरकार) में श्री दीप चन्द्र जोशी एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद, कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) को कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग द्वारा दी गयी पदोन्नति के अनुपालन में योगदान किये जाने की तिथि से वरिष्ठता निर्धारित करने के आदेश पारित किये गये है। चूंकि प्रार्थी द्वारा विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर दिनांक 27.05. 2013 को योगदान किया गया है। जिसके अनुसार प्रार्थी का विभाग में नियुक्ति का पत्रांक-374/63 जे0ई0टी0-सामान्य/13 दिनांक 27.05.2013 होना चाहिए। अतः महोदय से विन्रम अनुरोध है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष जारी की जाने वाली अन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थी के विभाग में नियुक्ति का पत्रांक-374/63 जे0ई0टी0 - सामान्य/13, दिनांक 27.05.2013 अंकित करने की कृपा करें, जिस हेतु प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा।	आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनाक 11.06.2026 द्वारा अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में की गई आपत्ति जिसका सार कॉलम संख्या 4 पर अंकित किया गया है पर निम्नवत् विचार विमर्श किया गया। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 के भाग-3 बिन्दु संख्या-5 भर्ती के स्रोत में निम्न प्राविधान उल्लिखित हैं :- सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो। रिट याचिका संख्या 1404/एस0एस0/2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के ज्ञाप संख्या 653/124 व्यघ-सा0/2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी। जिसके क्रमांक-115 पर श्री रमेश चन्द्र पन्त, अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) का नाम अंकित है। श्री रमेश चन्द्र पन्त, अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0) की पदोन्नति विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून के पत्र संख्या 374/63 जे0ई0टी0-सामान्य/13 दिनांक 27.05.2013 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर हुई थी। किन्तु उक्त पर लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 104/08/E-2/DPC/ लो0नि0वि0/2017-18 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अनुमोदन वर्ष 2018 में प्राप्त हुआ है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश दिनांक 24.04.2026 को आधार मानते हुए इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नति का पत्रांक-374/63 जे0ई0टी0-सामान्य/13, दिनाक 27.05.2013 अंकित करने की संस्तुति की जाती है।
2	श्री अरविन्द कुमार ड्यूड़ी / अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	116	अवगत कराना है कि पूर्व में उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 के पत्र संख्या 1674/XXX (2)/2010 दिनांक 23.11.2010 के द्वारा उत्तराखण्ड, सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली के नियम-4 के प्राविधानों के अनुसार उतराखण्ड शासन लो0नि0वि0, अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 748/III (1)/11-49 (अधि0)/2011 दिनांक 13.05.2013 द्वारा मानचित्रकार के पद से कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) के पद पर अपेक्षित	आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनाक-रहित द्वारा अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध मे की गई आपत्ति जिसका सार कॉलम संख्या-4 पर अंकित किया गया है पर निम्नवत् विचार विमर्श किया गया। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 के भाग-3 बिन्दु संख्या-5 भर्ती के स्रोत मे निम्न प्राविधान उल्लिखित है :-

1	2	3	4	5
			संख्या के पात्र कार्मिक उपलब्ध न होने के फलस्वरूप नियमित पदोन्नति हेतु भर्ती वर्ष प्रथम दिवस अर्थात दिनांक 01.07.2012 से चयन वर्ष 2012–2013 के लिए अर्हकारी सेवा में 01 वर्ष शिथिलीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। शासन द्वारा प्रदत्त शिथिलीकरण के सापेक्ष समिति की संस्तुति के आधार पर प्रार्थी की मानचित्रकार से कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) के पद पर नियमित पदोन्नति प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापन 'घ' वर्ग, लो०नि०वि०, देहरून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–374/63 जे0ई0टी0–सामान्य/2013 दिनांक 27.05.2013 के क्रमांक 15 पर प्रदान की गई है। –उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्गत पदोन्नति आदेश के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.05.2013 को प्रमुख अभियन्ता एव विभागाध्यक्ष, कार्यालय में कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) के पद पर योगदान दिया है। –तदोपरान्त लोक सेवा आयोग के पत्रांक 104/08/E–2/DPC/लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 द्वारा चयन वर्ष 2006–07 से चयन वर्ष 2016–17 हेतु रिक्त पदों के सापेक्ष कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) के पद पर चयन किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रार्थी का चयन वर्ष 2013–14 हेतु किया गया है। –लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त प्रमुख अभियन्ता एव विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापन 'घ' वर्ग, लो0नि0वि0 देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या –563/191व्यघ–सामान्य /2017 दिनांक 10.08.2018 द्वारा पुनः आयोग द्वारा संस्तुत चयन वर्ष के अनुरूप पूर्व से कार्यालय ज्ञाप संख्या–374/63/जे0ई0टी0–सामान्य/2013, दिनांक 27.05.2013 के अनुसार पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) के पदोन्नति आदेश जारी किये गये है, जिसमें प्रार्थी का चयन वर्ष 2013–14 अंकित है। महोदय, प्रार्थी को नियमित पदोन्नति प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वर्ष 2013 में प्रदान की गई थी, जिसके अनुसार ही लोक सेवा आयोग द्वारा प्रार्थी का चयन वर्ष 2013–14 हेतु किया गया है। आपके कार्यालय ज्ञाप संख्या –961/191 व्यघ–सामान्य/2025 दिनांक 25.09.2025 द्वारा प्रार्थी की ज्येष्ठता निर्धारण का आधार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अनुमोदन को लिया गया है, जो कि पूर्णतय उचित एव न्यायसंगत नही है। महोदय, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन संख्या–1404/202 (दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य V/S उत्तराखण्ड सरकार) में श्री दीप चन्द्र जोशी एव श्री राजेन्द्र प्रसाद कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) को कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग द्वारा दी गयी पदोन्नति के अनुपालन में योगदान किये जाने की तिथि से वरिष्ठता निर्धारित करने के आदेश पारित किये गये है। प्रार्थी की पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) के पद पर वर्ष 2013 (दिनांक 27.05.2013)	सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदो पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो। रिट याचिका संख्या 1404/एस0एस0/2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एव विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के ज्ञाप संख्या 653/124 व्यघ–मा0/2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी। जिसके क्रमांक–116 पर श्री अरविन्द कुमार डयूटी, अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) का नाम अंकित है। श्री अरविन्द कुमार डयूडी, अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0) की पदोन्नति विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून के पत्र संख्या 374/63 जे0ई0टी0–सामान्य/13 दिनांक 27.05.2013 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर हुई थी। किन्तु उक्त पर लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 104/08/E-2/DPC/लो0 नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अनुमोदन वर्ष 2018 में प्राप्त हुआ है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश दिनांक 24.04.2026 को आधार मानते हुए इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 27.05.2013 से ज्येष्ठता निर्धारित की जाने की संस्तुति की जाती है।

1	2	3	4	5
			में होने एवं तत्समय ही विभाग में योगदान किये जाने के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार प्रार्थी की ज्येष्ठता, कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 के पद पर योगदान की तिथि 27.05.2013 से निर्धारित करने की कृपा करे, जिसके अनुसार प्रार्थी का ज्येष्ठता कमांक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के कमांक 81 पर अंकित श्री कैलाश चन्द्र नौटियाल से ठीक पूर्व आयेगा।	
3	श्री दीवान चन्द्र/अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) निर्माण खण्ड, थराली	119	–अवगत कराना है कि पूर्व में उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2 दिनांक 23.11.2010 के द्वारा उत्तराखण्ड, सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली के नियम 4 के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड शासन लो0नि0वि0 अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1204/III (1) /11–49 (अधि०)/2011 दिनांक 21.12.2011 द्वारा मानचित्रकार के पद कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) के पद पर अपेक्षित संख्या के पात्र कार्मिक उपलब्ध न होने के फलस्वरूप नियमित पदोन्नति हेतु भर्ती वर्ष प्रथम दिवस अर्थात दिनांक 01.07.2011 से चयन वर्ष 2011–2012 के लिए अर्हकारी सेवा में 02 वर्ष शिथिलीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। शासन द्वारा प्रदत्त शिथिलीकरण के सापेक्ष समिति की संस्तुति के आधार पर प्रार्थी की मानचित्रकार से कनिष्ठ अभियन्ता, (प्राविधिक) के पद पर नियमित पदोन्नति प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष व्यवस्थापन 'घ' वर्ग, लो0नि0वि0 देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1638/63 जे0ई0टी0–सामान्य/2011 दिनांक 24.12.2011 के कमांक–20 पर प्रदान की गई है। – उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्गत पदोन्नति आदेश के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.12.2011 को पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो0नि0वि0, पोखरी में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर योगदान दिया गया है। – तदोपरान्त लोक सेवा आयोग का पत्रांक–104/08 E–2/DPC लो0नि0वि0/2017–18, दिनांक 17.07.2018 द्वारा चयन वर्ष 2006–07 से चयन वर्ष 2016–17 हेतु रिक्त पदों के सापेक्ष कनिष्ठ अभियन्ता, (प्राविधिक) के पद पर चयन किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रार्थी का चयन वर्ष 2013–14 हेतु किया गया है। – लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापन 'घ' वर्ग, लो0नि0वि0, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या –563/191 व्यय–सामान्य/2017 दिनांक 10.08.2018 द्वारा पुनः आयोग द्वारा संस्तुत चयन वर्ष के अनुरूप पूर्व से संलग्न–1 के अनुसार पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक), के पदोन्नति आदेश जारी किये गये है, जिसमें श्री राय सिंह रौतेला, का चयन वर्ष 2006–07 एवं प्रार्थी का चयन वर्ष 2013–14 अंकित है। महोदय, प्रार्थी को नियमित पदोन्नति प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वर्ष 2011 में प्रदान की गई थी, जिसके अनुसार ही लोक	आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 04.06.2026 द्वारा अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में की गई आपत्ति जिसका सार कॉलम संख्या–4 पर अंकित किया गया है पर निम्नवत् विचार विमर्श किया गया। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 के भाग–3 बिन्दु संख्या–5 भर्ती के स्रोत में निम्न प्राविधान उल्लिखित हैं :– सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो। रिट याचिका संख्या 1404/एस0एस0/2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के ज्ञाप संख्या 653/124 व्यघ–सा0/2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी। जिसके क्रमांक–119 पर श्री दीवान चन्द्र, अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) का नाम अंकित है। श्री दिवान चन्द्र, अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0) की पदोन्नति विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून के पत्र संख्या 1638/63 जे0ई0टी0–सामान्य/11 दिनांक 24.12.2011 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर हुई थी। किन्तु उक्त पर लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 104/08/E-2/DPC/लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अनुमोदन वर्ष 2018 में प्राप्त हुआ है। अवगत कराना है कि ऐसे कार्मिक जिनको विभाग द्वारा पूर्व में पदोन्नति प्रदान कर दी गयी थी तथा जिनका अनुमोदन लोक सेवा आयोग द्वारा बाद में दिया गया, ऐसे कार्मिकों का प्रकरण भी श्री दीप चन्द्र जोशी व श्री राजेन्द्र प्रसाद के समान होने के कारण ऐसे कार्मिकों को भी समता, न्याय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर श्री दीप चन्द्र जोशी एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार विभाग द्वारा की गयी पदोन्नति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना नियमानुकुल एवं विधिक दृष्टिकोण से उचित है।

1	2	3	4	5
			सेवा आयोग द्वारा प्रार्थी का चयन वर्ष 2013–14 हेतु किया गया है। आपके कार्यालय ज्ञाप संख्या–653 / 124 व्यध–सामान्य / 2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा प्रार्थी की ज्येष्ठता निर्धारण का आधार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अनुमोदन को लिया गया है, जो कि पूर्णतया उचित एवं न्यायसंगत नही है। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में श्री राय सिंह रौतेला, का ज्येष्ठता क्रमांक संशोधित करते हुए सूची के कमांक–69 पर रखा गया है। श्री राय सिह रौतेला, की पदोन्नति भी पूर्व मे विभाग द्वारा प्रदान की गई है, लोक सेवा आयोग द्वारा श्री राय सिंह रौतेला, एवं प्रार्थी का समान तिथि को किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट पिटिसन संख्या 1404 / 2020 (दीप चन्द्र जोशी एव अन्य V/S उत्तराखण्ड सरकार) में श्री दीप चन्द्र जोशी एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद, कनिष्ठ अभियन्ता, (प्राविधिक) को कनिष्ठ अभियन्ताए (प्राविधिक) के पद पर विभाग द्वारा दी गई पदोन्नति के अनुपालन में योगदान किये जाने की तिथि से वरिष्ठता निर्धारित करने के आदेश पारित किये गये है। अतः प्रार्थी की पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर वर्ष 2011 (दिनांक 24.12.2011) में होने एवं तत्समय ही विभाग में योगदान किये जाने के दृष्टिगत ज्येष्ठता हेतु (दिनांक 24.12.2011) आधार लिया जाय, उक्त बिंदुओं का संज्ञान लेते हुए मेरी वरिष्ठता को कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) के पद पर दिनांक 24.12.2011 के अनुसार संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करवाने की कृपा करें। अन्यथा ज्येष्ठता कमांक–संशोधन न होने की दशा में प्रार्थी को मा० न्यायालय में वाद दायर करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।	उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश दिनांक 24.04.2026 को आधार मानते हुए इनकी कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनाक 24.12.2011 से ज्येष्ठता निर्धारित की जाने की संस्तुति की जाती है।
4	**श्री कैलाश चन्द्र नौटियाल / अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0), 08 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी**	126	प्रचलित ज्येष्ठा नियमावली 2002 के नियम–8 (1) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां / पदोन्नतियां सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी है, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जायेगी। (अर्थात्–पदोन्नति आदेश / नियुक्ति आदेश की तिथि से)। चूंकि मेरी पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता (सि0) के पद पर 03.05.2017 को हुई है, तदोपरान्त शासनादेश दिनाक 29.06.2018 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) के पद पर पद परिवर्तन होने के फलस्वरुप दिनाक 30.06.2018 को कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) के पद पर योगदान किया गया है। जबकि उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता कमांक–120 से 125 पर उल्लिखित कार्मिकों की पदोन्नति आदेश दिनाक 17.07.2018 है, इस प्रकार ज्येष्ठता कमांक–120 से 125 पर उल्लिखित कार्मिक मेरे से ज्येष्ठ नही हो सकते है। अत अनुरोध है कि उक्त का संज्ञान लेते हुए मेरी ज्येष्ठता का निर्धारण पुन करने की कृपा कीजिएगा।	आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 09.06.2026 द्वारा अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में की गई आपत्ति जिसका सार कॉलम संख्या 4 पर अंकित किया गया है पर निम्नवत् विचार विमर्श किया गया। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल / प्राविधिक / विद्युत / यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 के भाग–3 बिन्दु संख्या–5 भर्ती के स्रोत में निम्न प्राविधान उल्लिखित हैं :– सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों / शासनादेशों में विहित हो। उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8 (1) के अनुसार जहा नियुक्तिया पदोन्नतियां और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियो की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जायेगी। अत उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8 (1) मे निहित प्राविधानों के

1	2	3	4	5
				अनुसार श्री कैलाश चन्द्र नौटियाल का विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून के पत्र संख्या 475/28 व्यघ–सा0/16 दिनांक 29.06.2018 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर पद परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप श्री कैलाश चन्द्र नौटियाल की दिनांक 29.06.2018 से ज्येष्ठता निर्धारण किये जाने की संस्तुति की जाती है।
5	श्री नीरज जोशी/ अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0), प्रान्तीय खण्ड, चम्पावत	128	महोदय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि 26. The Seniority of the petitioner no 1 on the post of Junior Engineer (Technical) shall be counted with effect from 03.01.2008 and the seniority of petitioner no. 2 shall be counted on the post of Junior Engineer (Technical) with effect from 20.05.2011 अर्थात् पिटिशनर के विभाग में नियुक्ति की तिथि जो कमशः दिनांक 03.01.2008 एवं दिनांक 20.05. 2011 है के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जाय, किन्तु आप द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में याचीगणों के अतिरिक्त भी अन्य कार्मिकों का ज्येष्ठता कमांक परिवर्तित करते हुये अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी है, जिसमें प्रार्थी (कमांक–128) की ज्येष्ठता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय केवल पिटिशनर (श्री दीप चन्द्र जोशी एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद) हेतु दिया गया है। अतः अन्य कार्मिकों की ज्येष्ठता प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–843/191 व्यघ–सा0/2017 दिनांक 22.10.2020 के अनुसार ही रखी जाय, जो विधिक तार्किक एवं न्यायसंगत है। महोदय अतः अनुरोध है कि ज्येष्ठता सूची को उपरोक्तानुसार संशोधित करने की कृपा करें।	आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनाक–रहित द्वारा अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में की गई आपत्ति जिसका सार कॉलम संख्या–4 पर अंकित किया गया है पर निम्नवत् विचार विमर्श किया गया। रिट याचिका संख्या 1404/एस0एस0/2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनाक 04.11.2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के ज्ञाप संख्या 653/124 व्यघ–सा0/2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी। जिसके क्रमांक–128 पर श्री नीरज जोशी, अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) का नाम अंकित है। अवगत कराना है, कि ऐसे कार्मिक जिनको विभाग द्वारा पूर्व में पदोन्नति प्रदान कर दी गयी थी तथा जिनका अनुमोदन लोक सेवा आयोग द्वारा बाद में दिया गया, ऐसे कार्मिकों का प्रकरण भी श्री दीप चन्द्र जोशी व श्री राजेन्द्र प्रसाद के समान होने के कारण ऐसे कार्मिकों को भी समता, न्याय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर श्री दीप चन्द्र जोशी एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार विभाग द्वारा की गयी पदोन्नति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना नियमानुकुल एवं विधिक दृष्टिकोण से उचित है। अतः ज्येष्ठता के सम्बन्ध में किये गये अनुरोध को उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निस्तारित किया जाता है।
6	श्री प्रेम सिंह /अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) कार्या0 मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून	130	प्रार्थी को निम्न प्रकार आपत्तियाँ हैं:– 1. महोदय मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं 1404/55/2020 के क्रम मे दिनांक 24.04.2026 को पारित आदेश द्वारा निर्णय दिया गया है कि Petitioner No-01 एवं 02 को उनके कनिष्ठ अभियंता (प्रा0) पर नियुक्ति की तिथि (Date of Appoinment) क्रमशः 03.01.2008 एवं 20.05.2011 से ज्येष्ठता निर्धारित की जाय। अवगत कराना है कि उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम–8 के प्रविधानों के अनुसार ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अतः महोदय प्रार्थिनी (ज्येष्ठता क्रमांक 130) को ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि दिनांक–08.02.2018 (मा0 लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन की तिथि) से प्रदान करने का कष्ट करें।	आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनाक 10.06.2026 द्वारा अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध मे की गई आपत्ति जिसका सार कॉलम संख्या–4 पर अंकित किया गया है पर निम्नवत् विचार विमर्श किया गया। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 के भाग–3 बिन्दु संख्या–5 भर्ती के स्रोत मे निम्न प्राविधान उल्लिखित हैं :– सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो। रिट याचिका संख्या 1404/एस0एस0/2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल

1	2	3	4	5
			2. महोदय उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियंता सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 दिनांक 22.11.2007 को जारी नियमावली के भाग –3 बिन्दु संख्या 5 भर्ती के स्रोत–सेवा मे विभिन्न श्रेणी के पदो पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा मा० लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन के ठीक पूर्व सुसंगत नियमों/शासनादेशों में निहित है। अर्थात मा० लोक सेवा आयोग के अनुमोदन/स्वीकृति के उपरान्त ज्येष्ठता सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप निर्गत की तिथि से जारी किये जायेंगे, के अनुपालन में अवगत कराना है कि अन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थिनी के ज्येष्ठता क्रमांक 130 से ऊपर क्रमाक 120 से 125 तक अंकित कार्मिकों जिनकी पदोन्नति हेतु स्वीकृति /अनुमोदन मा० लोक सेवा आयोग से दिनांक 17.07.2018 को प्राप्त हुआ है, तत्पश्चात् कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) के पद पर पदोन्नति के आदेश (प्रथम बार मा० लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन की तिथि दिनांक 17.07.2018 के पश्चात्) दिनांक 10.08.2018 को निर्गत किये गये हैं। क्योंकि प्रार्थी का लोक सेवा आयोग से अनुमोदन की तिथि दिनांक 08.02.2018, उक्त कार्मिकों के अनुमोदन की तिथि दिनांक–17.07.2018 से पूर्व की है। अतः उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियंता सिविल, प्राविधिक विद्युत एवं यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 दिनांक 22.11.2007 के अनुसार प्रार्थी की ज्येष्ठता उक्त कार्मिकों के क्रमांक 120 से ठीक ऊपर रखने का कष्ट करें। 3. महोदय अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण विभाग अनुभाग–1 के पत्र संख्या–158006/ ।।। (1)/2023–59217, दिनांक 04.10.2023 द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रुप से नियुक्त/पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारण हेतु प्रत्यावेदन आमंत्रित किये गये थे। आमंत्रित प्रत्यावेदनों में शासन द्वारा आपत्तियो का निराकरण किया गया, जिसमें बिन्दु संख्या–3, बिन्दु संख्या–4, बिन्दु संख्या–9 पर निराकरण आख्या में अंकित है कि रिक्ति घटित होने के वर्ष की पूर्वता के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित किये जाने का कोई प्राविधान नही है। अतः चयन वर्ष के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करने का कोई प्रावधान नही है। उक्त आपत्तियों के निराकरण उपरान्त शासन द्वारा दिनांक 05.05. 2025 को संशोधित ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी है। अतः महोदय उक्तानुसार ज्येष्ठता सूची में संशोधन करने का कष्ट करें।	द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं मा० लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के ज्ञाप संख्या 653/124 व्यघ–सा0/2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी। जिसके क्रमांक–130 पर श्री प्रेम सिंह, अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) का नाम अंकित है। किन्तु उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों का लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 104/08/E-2/DPC/लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 588/191 व्यघ–सामान्य/17 दिनांक 10.08.2018 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। जबकि अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 तक अंकित कार्मिकों का चयन लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 322/19/E-2/जे0ई0/डी0 आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018 को किया गया है जो कि उक्त कार्मिकों के अनुमोदन की तिथि दिनांक–17.07.2018 से पूर्व की है। उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8 (1) के अनुसार "जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं, प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति का आदेश माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा। अतः अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 पर अंकित कार्मिकों की नियुक्ति की तिथि क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व की होने के कारण अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 पर अंकित कार्मिकों को उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व रखे की जाने की संस्तुति की जाती है।

18

1	2	3	4	5
7	श्री सुरेश चन्द्र कुठारी/अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0) प्रथम वृत्त, अल्मोड़ा	131	प्रार्थी को निम्न प्रकार आपत्तियाँ हैः– 1.महोदय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि पिटिश्नर के कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) के पद पर पदोन्नति के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान किया जाय। किन्तु आप द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में विभिन्न पदोन्नत कार्मिकों के विभाग में नियुक्ति का दिनांक लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 17.07.2018 द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त विभिन्न पदोन्नत कार्मिकों को जारी नियुक्ति पत्र का दिनांक अंकित किया गया है। अतः निवेदन है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को संशोधित करने की कृपा करें। 2. महोदय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि 26. The seniority of the petitioner no. 1 on the post of Junior Engineer (technical) shall be counted with effect from 03.01.2008 and the seniority of petitioner no. 2 shall be counted on the post of Junior Engineer (Technical) with effect from 20.05.2011 अर्थात पिटिशनर के विभाग में नियुक्ति की तिथि जो क्रमशः दिनांक 03.01.2008 एवं दिनांक 20.05.2011 है के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जायए किन्तु आप द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में चयन वर्ष के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है, अवगत कराना है कि उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग–2 के बिन्दु सं0 8 (1) के अनुसार "जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं, प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति का आदेश माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।" महोदय उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग–2 के बिन्दु सं0 8 (1) में स्पष्ट है कि ज्येष्ठता केवल मौलिक नियुक्ति के दिनांक अथवा नियुक्ति के आदेश में ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो उस दिनांक से प्रदान की जायेगी, किन्तु जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उक्त नियमावली का अनुपालन न करते हुये चयन वर्ष को आधार मानते हुये क्रमांक 120 से 125 तक के कार्मिको की वरिष्ठता प्रार्थी (क्रमांक (131) से पहले कर दी गयी है, जो कि पूर्णतः अनुचित है।	आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 08.06.2026 द्वारा अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में की गई आपत्ति जिसका सार कॉलम संख्या 4 पर अंकित किया गया है पर निम्नवत् विचार विमर्श किया गया। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यात्रिक) सेवा नियमावली 2007 के भाग–3 बिन्दु संख्या–5 भर्ती के स्रोत में निम्न प्राविधान उल्लिखित हैं :– सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो। रिट याचिका संख्या 1404/एस0एस0/2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के ज्ञाप संख्या 653/124 व्यघ–सा0/2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी। जिसके क्रमांक–131 पर श्री सुरेश चन्द्र कोठारी, अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) का नाम अंकित है। किन्तु उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों का लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 104/08/E-2/DPC/लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 588/191 व्यघ–सामान्य/17 दिनांक 10.08.2018 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। जबकि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 तक अंकित कार्मिकों का चयन लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018 को किया गया है जो कि उक्त कार्मिकों के अनुमोदन की तिथि दिनांक–17.07.2018 से पूर्व की है। उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के बिन्दु सं0 8 (1) के अनुसार "जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं, प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश मे ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति का आदेश माना जायेगा और अन्य मामलो में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनाक से होगा ।

1	2	3	4	5
			यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न पदोन्नत कार्मिकों के नियुक्ति आदेश मे कोई भी विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट नही है अथवा पदोन्नति का लाभ किसी भी प्राकल्पिक (नोश्नल) तिथि से नही दिया गया है । 3.महोदय अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग-1 के पत्र संख्या 158006/ III(1)/2023-59217/ई0एस0टी0 /4/2023, दिनांक 04 अक्टूबर 2023 द्वारा सीधी भर्ती/ पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारण हेतु आमन्त्रित आपत्तियों का निराकरण किया गया है, जिसके क्रमांक 01 पर निराकरण आख्या में अंकित है कि "उल्लेखनीय है कि रिक्ति घटित होने के वर्ष की पूर्वता के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है"। तथा उक्त के आधार पर चयन वर्ष के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण हेतु आपत्ति/प्रत्यावेदन को शासन द्वारा अग्राह्य करते हुये अपने पत्र दिनांक 05.05.2025 द्वारा ज्येष्ठता सूची जारी कर दी गयी है। अतः पत्रांक-653/124 व्यघ-सा0/2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को उपरोक्तानुसार संशोधित करने की कृपा करें। 4.महोदय, ज्येष्ठता सूची में समस्त कार्मिकों की मौलिक नियुक्ति तथा चयन वर्ष अंकित नही होने से ज्येष्ठता सूची में प्रार्थी की ज्येष्ठता निर्धारण में असमंजश की स्थिति बन रही है। अतः निवेदन है कि ज्येष्ठता सूची में समस्त कार्मिकों की मौलिक नियुक्ति तथा चयन वर्ष को स्पष्ट रुप से अंकित किया जाय। महोदय, उपरोक्त ज्येष्ठता सूची में न ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन किया गया है तथा न ही उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 के विन्दु संख्या- 8(1) का अनुपालन किया गया है। एवं चयन वर्ष को आधार मानते हुये ज्येष्ठता सूची जारी की गयी है। जो कि सर्वथा अनुचित है। अतः अनुरोध है कि ज्येष्ठता को उपरोक्तानुसार संशोधित करने की कृपा करें।	अतः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-127 से 148 पर अंकित कार्मिकों की नियुक्ति की तिथि क्रमांक-120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व की होने के कारण अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-127 से 148 पर अंकित कार्मिकों को उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार क्रमांक-120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व रखे की जाने की संस्तुति की जाती है।
8	**श्री महिपाल सिंह रौतेला/अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0) रा0मा0ख0, रानीखेत**	132	प्रार्थी को निम्न प्रकार आपत्तियां है:- 1. महोदय उक्त संशोधन में कतिपय अभियन्ताओं की ज्येष्ठता का निर्धारण चयन वर्ष को आधार मानकर किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, चूकि प्रार्थी का कनिष्ट अभियन्ता (प्रा०) के पद पर चयन संयुक्त कनिष्ठ अभियन्ता चयन परीक्षा-2013 के द्वारा हुआ है। प्रार्थी के चयन के आदेशों में चयन वर्ष कही अंकित नही होने एवं एकमात्र चयन परीक्षा वर्ष 2013 अंकित होने से चयन वर्ष 2012-13 है प्रतीत होता है। यदि प्रार्थी का चयन वर्ष 2012-13 है, तो तदनुसार चयन वर्ष 2012-13 को आधार मानते हुए प्रार्थी की ज्येष्ठता निर्धारित की जाय।	आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 10.06.2026 द्वारा अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में की गई आपत्ति जिसका सार कॉलम संख्या 4 पर अंकित किया गया है पर निम्नवत् विचार विमर्श किया गया। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 के भाग-3 बिन्दु संख्या-5 भर्ती के स्रोत मे निम्न प्राविधान उल्लिखित है :- सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो।

1	2	3	4	6
			2. महोदय, यदि प्रार्थी महिपाल सिंह रौतेला, अपर सहायक अभियन्ता (प्रा०) वर्तमान ज्येष्ठता क्रमांक 132 की नियुक्ति के सम्बन्ध में चयन वर्ष का निर्धारण नही किया गया है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालयए दिल्ली के आदेशों के उपरान्त Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension Department of Personnel & Training Letter No. 20011/1/2012-Estt. (D) Dt 04.03.2014 के बिन्दु सं0 5 (E) 'Initiation of recruitment process against a vacancy year would be the date of sending of requisition for filling up of vacancies to the recruiting agency in the case of direct recruits; in the case of promotees the date on which a proposal, complete in all respects, is sent to UPSC/ Chairman- DPC for convening of DPC to fill up the vacancies through promotion would be the relevant date' है। अतः अनुरोध है कि प्रार्थी का उक्तानुसार चयन वर्ष निर्धारित करते हुये प्रार्थी की ज्येष्ठता चयन वर्ष के अनुसार निर्धारित की जाय। 3. महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालयए दिल्ली के आदेशों के उपरान्त Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension Department of Personnel & Training Letter No. 2001 1/2/2019-Estt.(D) 31 August 2021 के बिन्दु सं0 7 (3) "In case of direct recruits and promotes appointed /Joined during the period between 27.11.2012 and 18.11.2019 and in which case inter se seniority could not be finalised by 18.11.2019, shall also be governed by the provisions of O.Ms. dated 7.2.1986/3.7.1986 read with OM dated 4.3.2014, unless where a dffierent formulation /manner of determination of seniority has been decided by any Tribunal or Court" है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति/कार्यग्रहण अवधि दिनांक 27.11.2012 से 18.11.2019 के बीच होने के कारण तथा वर्तमान तक ज्येष्ठता सूची अन्तिम रूप से निर्धारण न होने के कारण प्रार्थी की ज्येष्ठता चयन वर्ष 2012–2013 को आधार मानते हुये निर्धारित की जाय। महोदय कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग "व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या 653/124 व्याघ–सा0/2026, दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (प्रा०) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रारुप के कॉलम सं0–9 (लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक एवं चयन वर्ष) में प्रार्थी महिपाल सिंह रौतेला, अपर सहायक अभियन्ता (प्रा०) वर्तमान ज्येष्ठता क्रमांक–132 का चयन वर्ष अंकित नही होने से ज्येष्ठता सूची में प्रार्थी की ज्येष्ठता निर्धारण मे असमंजश की स्थिति बन रही है। अत निवेदन है की ज्येष्टता सूची में समस्त कार्मिकों की चयन वर्ष तथा मौलिक नियुक्ति तिथि को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।	रिट याचिका संख्या 1404/[illegible]/[illegible] दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के ज्ञाप संख्या 653/124 व्याघ–सा0/2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी। जिसके क्रमांक–132 पर श्री महिपाल सिंह रौतेला, अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) का नाम अंकित है। उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के भाग–2 के बिन्दु सं0 8 (1) के अनुसार "जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये है, प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति का आदेश माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा । किन्तु उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों का लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 104/08/E-2/DPC/लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 588/191 व्याघ–सामान्य/17 दिनांक 10.08.2018 द्वारा कनिष्ट अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। जबकि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 तक अंकित कार्मिकों का चयन लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018 को किया गया है जो कि उक्त कार्मिकों के अनुमोदन की तिथि दिनांक–17.07.2018 से पूर्व की है। अत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 पर अंकित कार्मिको की नियुक्ति की तिथि क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व की होने के कारण अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 पर अंकित कार्मिकों को उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के के अनुसार क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व रखे की जाने की संस्तुति की जाती है तथा चयन वर्ष के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

1	2	3	4	5
			महोदय निवेदन है कि उपरोक्त ज्येष्ठता सूची मे उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली (सशोधन) नियमावली 2024, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्देशों के आधार पर जारी Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension Department of Personnel & Training Letter No. 20011/1/2012-Estt. (D) Dt 04.03.2014 and Letter No.2001 1/2/2019-Estt. (D) 31 August 2021 के अनुसार प्रार्थी के चयन वर्ष 2012-13 को आधार मानते हुये ज्येष्ठता सूची मे सशोधन करने की कृपा करें।	
9	श्री संजीव कुमार पाल/अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0) रा0मा0ख0, घुमाकोट	133	जिसमे प्रार्थी को निम्न प्रकार आपत्तियाँ हैं:- 1. महोदय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि पिटिश्नर के कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) के पद पर पदोन्नति के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान किया जाय। किन्तु आप द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में विभिन्न पदोन्नत कार्मिकों के विभाग में नियुक्ति का दिनांक लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 17.07.2018 द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त विभिन्न पदोन्नत कार्मिकों को जारी नियुक्ति पत्र का दिनांक अंकित किया गया है। अतः निवेदन है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को संशोधित करने की कृपा करें। 2. महोदय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि 26. The seniority of the petitioner no. 1 on the post of Junior Engineer (technical) shall be counted with ffeect from 03.01.2008 and the seniority of petitioner no. 2.shall be counted on the post of Junior Engineer (Technical) with effect from 20.05.2011 अर्थात पिटिशनर के विभाग में नियुक्ति की तिथि जो क्रमशः दिनांक 03.01.2008 एवं दिनांक 20.05.2011 है, के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जाय, किन्तु आप द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 120 से 125 तक के कार्मिको की ज्येष्ठता प्रार्थी (क्रमांक 135) से पहले कर दी गयी है, जबकि क्रमांक 120 से 125 तक के कार्मिको की नियुक्ति दि0 10.08.2018 को जारी की गयी है एवं प्रार्थी की नियुक्ति दिनांक 29.06.2018 को जारी की गयी है। 3. महोदय अवगत कराना है कि उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 के बिन्दु सं0 8 (1) के अनुसार उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश पर ज्येष्ठता का निर्धारण किया जाना है। जिसका अनुपालन दि0 29.05.2026 को जारी की गई, ज्येष्ठता सूची में नही किया गया है। जबकि उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग-1 के पत्र संख्या 158006/111(1)/2023-59217/ई0एस0टी0/4/2023, दिनांक 04.10 2023 द्वारा सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची मे ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 के बिन्दु सं0 8 (1) का अनुपालन किया गया है एवं इसी नियम के आधार पर प्राप्त आपतियों का निस्तारण किया गया है।	आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 09.06.2026 द्वारा अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में की गई आपत्ति जिसका सार कॉलम संख्या 4 पर अंकित किया गया है पर निम्नवत् विचार विमर्श किया गया। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 के भाग-3 बिन्दु संख्या-5 भर्ती के स्रोत में निम्न प्राविधान उल्लिखित हैं :- सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो। रिट याचिका संख्या 1404/एस0एस0/2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के ज्ञाप संख्या 653/124 व्यघ-सा0/2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी। जिसके क्रमांक-133 पर श्री संजीव कुमार पाल, अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) का नाम अंकित है। किन्तु उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-120 से 125 पर अंकित कार्मिकों का लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 104/08/E-2/DPC/लो0नि0वि0/2017-18 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 588/191 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 10.08.2018 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। जबकि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-127 से 148 तक अंकित कार्मिकों का चयन लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012-13 दिनांक 08.02.2018 को किया गया है जो कि उक्त कार्मिकों के अनुमोदन की तिथि दिनांक-17.07.2018 से पूर्व की है। उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के बिन्दु सं0 8 (1) के अनुसार

1	2	3	4	5
			महोदय उपरोक्त ज्येष्ठता सूची में माननीय उच्च न्यायालय एवं उत्तराचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 के बिन्दु स0 8(1) के अनुसार नही बनायी गयी है। अतः महोदय से अनुरोध है कि ज्येष्ठता सूची को उपरोक्तानुसार संशोधित करने की कृपा करें ।	"जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं, प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति का आदेश माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा । अतः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-127 से 148 पर अंकित कार्मिकों की मौलिक नियुक्ति की तिथि क्रमांक-120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व की होने के कारण अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-127 से 148 पर अंकित कार्मिकों को उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार क्रमांक-120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व रखे की जाने की संस्तुति की जाती है।
10	**श्री संजय राणा/अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0), परियोजना प्रबन्धक देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना कियान्वयन इकाई**	135	प्रार्थी को निम्न प्रकार आपत्तियाँ हैं:- महोदय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि पिटिश्नर के कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) के पद पर पदोन्नति के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान किया जाय। किन्तु आप द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में विभिन्न पदोन्नत कार्मिकों के विभाग में नियुक्ति का दिनांक लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 17.07.2018 द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त विभिन्न पदोन्नत कार्मिकों को जारी नियुक्ति पत्र का दिनांक अंकित किया गया है। अतः निवेदन है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को संशोधित करने की कृपा करें। महोदय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि 26. The seniority of the petitioner no. 1 on the post of Junior Engineer (technical) shall be counted with effect from 03.01.2008 and the seniority of petitioner no. 2 shall be counted on the post of Junior Engineer (Technical) with effect from 20.05.2011 अर्थात पिटिशनर के विभाग में नियुक्ति की तिथि जो क्रमशः दिनांक 03.01.2008 एवं दिनांक 20.05.2011 है के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जायए किन्तु आप द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में चयन वर्ष के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है, अवगत कराना है कि उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग-2 के बिन्दु सं0 8 (1) के अनुसार "जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से	आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक09.06.2026 द्वारा अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में की गई आपत्ति जिसका सार कॉलम संख्या 4 पर अंकित किया गया है पर निम्नवत् विचार विमर्श किया गया। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 के भाग-3 बिन्दु संख्या-5 भर्ती के स्रोत में निम्न प्राविधान उल्लिखित हैं :- सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो। रिट याचिका संख्या-1404/एस0एस0/2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के ज्ञाप संख्या 653/124 व्यध-सा0/2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी। जिसके क्रमांक-135 पर श्री संजय राणा, अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) का नाम अंकित है। किन्तु उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-120 से 125 पर अंकित कार्मिकों का लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 104/08/E-2/DPC/लो0नि0वि0/17-18 दिनांक 17.07.2018

1	2	3	4	5
			की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं, प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति का आदेश माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा ।" महोदय उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग–2 के बिन्दु सं0 8 (1) में स्पष्ट है कि ज्येष्ठता केवल मौलिक नियुक्ति के दिनांक अथवा नियुक्ति के आदेश में ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो उस दिनांक से प्रदान की जायेगी, किन्तु जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उक्त नियमावली का अनुपालन न करते हुये चयन वर्ष को आधार मानते हुये क्रमांक 120 से 125 तक के कार्मिको की वरिष्ठता प्रार्थी क्रमांक (131) से पहले कर दी गयी है, जो कि पूर्णतः अनुचित है । यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न पदोन्नत कार्मिकों के नियुक्ति आदेश में कोई भी विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट नहीं है अथवा पदोन्नति का लाभ किसी भी प्राकल्पिक (नोश्नल) तिथि से नहीं दिया गया है । महोदय अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग.1 के पत्र संख्या 158006/ III(1)/2023–59217/ई0एस0टी0 /4/2023, दिनांक 04 अक्टूबर 2023 द्वारा सीधी भर्ती/ पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारण हेतु आमन्त्रित आपत्तियों का निराकरण किया गया है, जिसके क्रमांक 01 पर निराकरण आख्या में अंकित है कि "उल्लेखनीय है कि रिक्ति घटित होने के वर्ष की पूर्वता के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है"। तथा उक्त के आधार पर चयन वर्ष के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण हेतु आपत्ति /प्रत्यावेदन को शासन द्वारा अग्राह्य करते हुये अपने पत्र दिनांक 05.05.2025 द्वारा ज्येष्ठता सूची जारी कर दी गयी है। अतः पत्रांक– 653/124 व्यघ–सा0 /2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को उपरोक्तानुसार संशोधित करने की कृपा करें। महोदय, ज्येष्ठता सूची में समस्त कार्मिको की मौलिक नियुक्ति तथा चयन वर्ष अंकित नही होने से ज्येष्ठता सूची मे प्रार्थी की ज्येष्ठता निर्धारण में असमंजश की स्थिति बन रही है।	द्वारा अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 588/191 व्यघ–सामान्य/17 दिनांक 10.08.2018 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। जबकि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 तक अंकित कार्मिकों का चयन लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018 को किया गया है जो कि उक्त कार्मिकों के अनुमोदन की तिथि दिनांक–17.07.2018 से पूर्व की है। उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के बिन्दु सं0 8 (1) के अनुसार "जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं, प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति का आदेश माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा । अतः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 पर अंकित कार्मिकों की मौलिक नियुक्ति की तिथि क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व की होने के कारण अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 पर अंकित कार्मिकों को उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व रखे की जाने एवं समस्त कार्मिकों की मौलिक नियुक्ति की तिथि ज्येष्ठता सूची में अंकित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

1	2	3	4	5
			अतः निवेदन है कि ज्येष्ठता सूची में समस्त कार्मिकों की मौलिक नियुक्ति तथा चयन वर्ष को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय। महोदय, उपरोक्त ज्येष्ठता सूची में न ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन किया गया है तथा न ही उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग -2 के बिन्दु संख्या- 8(1) का अनुपालन किया गया है। एवं चयन वर्ष को आधार मानते हुये ज्येष्ठता सूची जारी की गयी है। जो कि सर्वथा अनुचित है। अतः अनुरोध है कि ज्येष्ठता को उपरोक्तानुसार संशोधित करने की कृपा करें।	
11	श्री प्रदीप सिंह रैथाण / अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0), राष्ट्रीय मार्ग खण्ड श्रीनगर	138	विभाग द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के अवलोकन से ज्ञात होता है। कि ज्येष्ठता का निर्धारण चयन वर्ष को आधार मानते हुए किया गया है। जबकि उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम 8(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि एक ही चयन प्रकिया के माध्यम से विभिन्न पोषक संवर्गों (Feeding cadres) से पदोन्नति की स्थिति में कर्मचारियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके मूल/पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश की तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अधोहस्ताक्षरी की मौलिक नियुक्ति उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के चयन पत्रांक-322/19ई0-2/जे0ई0/डी0आर0/ 2012 -13 दिनांक 08.02.2018 के माध्यम से हुई है। उक्त चयन के कम में विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश दिनांक 03.07.2018 निर्गत किया गया तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.07.2018 को कार्यभार ग्रहण किया गया। अतः नियम 8(1) के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की ज्येष्ठता का निर्धारण उसकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। यदि ज्येष्ठता सूची में अधोहस्ताक्षरी से ऊपर स्थान प्राप्त अधिकारियों की मौलिक नियुक्ति अथवा कार्यभार ग्रहण तिथि अधोहस्ताक्षरी से पश्चात् की है, तो उन्हें अधोहस्ताक्षरी से वरिष्ठ माना जाना नियमसम्मत नही होगा। इसके अतिरिक्त शासन लोक निर्माण अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या- 158006/AAA (1)/ 2023-59217/E.S.T/4 /2023 दिनांक 04.10. 2023 में भी स्पष्ट किया गया है कि रिक्ति वर्ष अथवा चयन वर्ष की पूर्वता के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारण का कोई प्रावधान नही है। अतः ज्येष्ठता का निर्धारण केवल प्रचलित ज्येष्ठता नियमावली के अनुरुप ही किया जाना चाहिए। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम 8(1), शासनादेश दिनांक 04.10. 2023 तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो के आलोक में अधोहस्ताक्षरी की ज्येष्ठता का पुनः परीक्षण कर संशोधित ज्येष्ठता सूची जारी करने की कृपा करे, जिससे अधोहस्ताक्षरी को उसका विधिसम्मत एवं न्यायोचित स्थान प्राप्त हो सके।	आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-रहित द्वारा अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में की गई आपत्ति जिसका सार कॉलम संख्या-4 पर अंकित किया गया है पर निम्नवत् विचार विमर्श किया गया। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/ प्राविधिक/ विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 के भाग-3 बिन्दु संख्या-5 भर्ती के स्रोत में निम्न प्राविधान उल्लिखित हैं :- सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो। रिट याचिका संख्या 1404/एस0एस0/2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11. 2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के ज्ञाप संख्या 653/124 व्यघ-सा0/2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी। जिसके क्रमांक-138 पर श्री प्रदीप सिंह रैथाण, अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) का नाम अंकित है। किन्तु उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-120 से 125 पर अंकित कार्मिकों का लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 104/08/E-2/DPC/ लो0नि0वि0/2017-18 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय के पत्र सख्या 588/191 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 10.08.2018 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। जबकि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-127 से 148 तक अंकित कार्मिकों का चयन लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012-13 दिनाक 08.02.2018 को किया गया है जो कि उक्त कार्मिकों के अनुमोदन की तिथि दिनांक-17.07.2018 से पूर्व की है। उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के बिन्दु सं0 8 (1) के अनुसार "जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां इस प्रकार

1	2	3	4	5
				नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं, प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति का आदेश माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा । अतः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 पर अंकित कार्मिकों की मौलिक नियुक्ति की तिथि क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व की होने के कारण अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 पर अंकित कार्मिकों को उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व रखे की जाने की संस्तुति की जाती है।
12	श्री विजय पाण्डेय/निर्माण खण्ड, कपकोट एवं किरन मेहरा/रा0मा0 वृत्त, हल्द्वानी एवं मयूर शाह /अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0) क्षेत्रीय कार्यालय अल्मोड़ा	129 140 137	1. महोदय आप द्वारा निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ज्येष्ठता सूची का निर्धारण मुख्यतः चयन वर्ष के आधार पर किया गया है। इस हेतु निर्गत ज्येष्ठता सूची में कतिपय बिंदुओं पर आपका ध्यानाकर्षण किया जाना है • ज्येष्ठता सूची के कम सं0 69 से 74 तक के कार्मिकों का लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक 104/08/E-2/DPC लो0नि0वि0/ 2017–18 दिनांक 17.07.2018, ज्येष्ठता क्रमांक 86 से 119 के कार्मिकों हेतु लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक 104/08/E-2/DPC लो0नि0वि0/ 2017–18 दिनांक 17.07.2018 एवं क्रम सं० 120–125 हेतु लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक 104/08/E-2/DPC लो0नि0वि0/2017 –18 दिनांक 17.07.2018 है। जिस हेतु आप द्वारा सूची के कॉलम 9 में चयन वर्ष क्रमशः 2007–08, 2013–14 एवं 2016–17 अंकित किया गया है। जिससे भान होता है कि शायद चयन वर्ष से आपका आशय अधियाचन वर्ष होगा। • उक्त हेतु यह तथ्य संज्ञान में लाया जाना है कि ज्येष्ठता क्रमांक 127 से 148 तक के कार्मिकों का चयन संयुक्त कनिष्ट अभियन्ता चयन परीक्षा-2013 के अंतर्गत हुआ है। जिसका विज्ञापन/विज्ञप्ति दिनांक 15.04.2013 को निर्गत की जा चुकी थी। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि इनका चयन वर्ष 2012–13 ही माना जाना चाहिये। जिसके अनुसार ज्येष्ठता सूची को पुनः संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है।	आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपने संयुक्त प्रत्यावेदन दिनांक–रहित द्वारा अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में की गई आपत्ति जिसका सार कॉलम संख्या–4 पर अंकित किया गया है पर निम्नवत् विचार विमर्श किया गया। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक /विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 के भाग–3 बिन्दु संख्या–5 भर्ती के स्रोत में निम्न प्राविधान उल्लिखित हैं – सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व सुसंगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो। रिट याचिका संख्या 1404/एस0एस0/2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2025 एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के ज्ञाप संख्या 653/124 वाद–स्था0/2025 दिनांक 29.05.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी। जिसके क्रमांक–129 पर श्री विजय पाण्डेय, क्रमांक–137 पर श्री मयूर शाह, क्रमांक–140 पर श्रीमती किरन मेहरा अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) का नाम अंकित है। उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के भाग–2 के बिन्दु सं0 8 (1) के अनुसार "जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों,

1	2	3	4	5
			महोदय किसी भी प्रकार से समस्त कार्मिकों के ज्येष्ठता का निर्धारण या तो लोक सेवा आयोग के आदेशानुसार अथवा चयन वर्ष के अनुसार ही किया जाना होगा, जिससे समस्त कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारण हेतु एकरूपता एवं निष्पक्षता बनी रहेगी। • इसी क्रम में ज्येष्ठता क्रमांक 126 पर अंकित कार्मिक की भी ज्येष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग के आदेशानुसार ना लेते हुए सूची के कॉलम 10 में उल्लिखित शासनादेश के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस निर्धारण हेतु ना ही चयन वर्ष को और ना ही आयोग के आदेश का संज्ञान लिया गया है। महोदय अवगत कराना है कि कम सं0 127 से 148 तक के कार्मिकों का आयोग द्वारा अंतिम रूप से चयन अपने पत्र सं0 322/19/E-2/जे0ई0/डी०आर०/2012–13 दिनांक 08.02.2018 द्वारा किया जा चुका था एवं चयनोपरान्त नियुक्ति पत्र हेतु समस्त संबंधित विभागों को चयनित सूची प्रेषित की जा चुकी थी। आयोग के पत्र स0 से स्पष्ट है कि चयन वर्ष 2012–13 एवं अंतिम चयन माह फरवरी–2018 में हो जाने के उपरान्त भी चयनित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र माह जुलाई–2018 में निर्गत किए गए हैं, जिसमें प्रथम तो चयन प्रक्रिया में 5 वर्ष एवं चयनोपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु 5 माह का समय व्यतीत होने हेतु कोई भी कार्मिक जिम्मेदार नही है। यद्यपि उक्त विज्ञप्ति के दिनांक से ही समस्त अभ्यर्थीय पूर्ण रूप से समस्त अर्हताएं धारित करते थे। अतः निष्पक्ष न्याय के दृष्टिगत भी उनकी ज्येष्ठता का निर्धारण किए जाने में अवश्य ही कोई त्रुटि हुई है। अतः आपसे अनुरोध है कि संपूर्ण ज्येष्ठता सूची के निर्धारण हेतु समस्त कार्मिकों हेतु एक मापदण्ड को आधार माना जाएए निर्गत ज्येष्ठता सूची से ऐसा प्रतीत होता है कि ज्येष्ठता निर्धारण कई पैमानों के आधार पर किया गया है। कृपया एक बार पुनः ज्येष्ठता सूची का अवलोकन कर ज्येष्ठता क्रमांक 127 से 148 तक के कार्मिकों हेतु भी चयन वर्ष 2012–13 को आधार मानने पर विचार करने की कृपा करें।	वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं, प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति का आदेश माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा । किन्तु उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों का लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 104/08/E-2/DPC /लो0नि0वि0/17–18 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 588/191 व्यध–सामान्य/17 दिनाक 10.08.2018 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। जबकि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 तक अंकित कार्मिकों का चयन लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018 को किया गया है जो कि उक्त कार्मिकों के अनुमोदन की तिथि दिनांक–17.07.2018 से पूर्व की है। अतः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 पर अंकित कार्मिकों की नियुक्ति की तिथि क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व की होने के कारण अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 पर अंकित कार्मिकों को उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व रखे की जाने की संस्तुति की जाती है तथा चयन वर्ष के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
13	श्रीमती पूजा जुयाल/अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0) रा0मा0खा0, बड़कोट	142	प्रार्थिनी को निम्न प्रकार आपत्तियाँ हैं:– 1. महोदय मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं 1404/55/2020 के क्रम मे दिनांक 24.04.2026 को पारित आदेश द्वारा निर्णय दिया गया है कि Petitioner No-01 एवं 02 को उनके कनिष्ठ अभियंता (प्रा०) पर नियुक्ति की तिथि (Date of Appoinment) क्रमशः 03.01.2008 एवं 20.05.2011 से ज्येष्ठता निर्धारित की जाय। अवगत कराना है कि उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम 8 के प्रविधानों के अनुसार ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आधार पर निर्धारित की जाएगी।	आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनाक 11.06.2026 द्वारा अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में की गई आपत्ति जिसका सार कॉलम संख्या–4 पर अंकित किया गया है पर निम्नवत् विचार विमर्श किया गया। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 के भाग–3 बिन्दु संख्या–5 भर्ती के स्रोत में निम्न प्राविधान उल्लिखित है :– सेवा मे विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत

1	2	3	4	5
			अतः महोदय प्रार्थिनी (ज्येष्ठता क्रमांक–142) को ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि दिनांक–08.02.2018 (मा० लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन की तिथि) से प्रदान करने का कष्ट करें। 2. महोदय उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियंता सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 दिनांक 22.11.2007 को जारी नियमावली के भाग–3 बिन्दु संख्या 5 भर्ती के स्रोत– सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा मा० लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन के ठीक पूर्व सुसंगत नियमों/शासनादेशों में निहित है। अर्थात मा० लोक सेवा आयोग के अनुमोदन/स्वीकृति के उपरान्त ज्येष्ठता सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप निर्गत की तिथि से जारी किये जायेंगे, के अनुपालन में अवगत कराना है कि अन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थिनी के ज्येष्ठता क्रमांक 142 से ऊपर क्रमांक 120 से 125 तक अंकित कार्मिकों जिनकी पदोन्नति हेतु स्वीकृति/अनुमोदन मा० लोक सेवा आयोग से दिनांक 17.07.2018 को प्राप्त हुआ है, तत्पश्चात कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) के पद पर पदोन्नति के आदेश (प्रथम बार मा० लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन की तिथि दिनांक 17.07.2018 के पश्चात) दिनांक– 10.08.2018 को निर्गत किये गये हैं। क्योंकि प्रार्थिनी का लोक सेवा आयोग से अनुमोदन की तिथि दिनांक 08.02.2018, उक्त कार्मिकों के अनुमोदन की तिथि दिनांक 17.07.2018 से पूर्व की है। अतः उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियंता सिविल, प्राविधिक विद्युत एवं यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 दिनांक 22.11.2007 के अनुसार प्रार्थिनी की ज्येष्ठता उक्त कार्मिकों के क्रमांक 120 से ठीक ऊपर रखने का कष्ट करें। अतः महोदय तदानुसार ज्येष्ठता सूची में संशोधन करने का कष्ट करें।	नियमों/शासनादेशों में विहित हो। रिट याचिका संख्या 1404/एस०एस०/2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं मा० लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के ज्ञाप संख्या 653/124 व्यव–सा०/2025 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी। जिसके क्रमांक–142 पर श्रीमती पूजा जुयाल, अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) का नाम अंकित है। उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के भाग–2 के बिन्दु सं0 8 (1) के अनुसार "जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं, प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति का आदेश माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा । किन्तु उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों का लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 104/08/E-2/DPC/लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 588/191 व्यव–सामान्य/17 दिनांक 10.08.2018 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। जबकि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 तक अंकित कार्मिकों का चयन लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018 को किया गया है जो कि उक्त कार्मिकों के अनुमोदन की तिथि दिनांक–17.07.2018 से पूर्व की है। अतः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 पर अंकित कार्मिकों की नियुक्ति की तिथि क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व की होने के कारण अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 पर अंकित कार्मिकों को उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व रखे की जाने की संस्तुति की जाती है।

1	2	3	4	5
14	श्रीमती सरिता रावत / अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0) क्षेत्रीय कार्यालय पौड़ी	143	प्रार्थी को निम्न प्रकार आपत्तियाँ है– 1. महोदय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि पिटिशनर के कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) के पद पर पदोन्नति के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान किया जाय। किन्तु आप द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में विभिन्न पदोन्नत कार्मिकों के विभाग में नियुक्ति का दिनांक लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 17.07.2018 द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त विभिन्न पदोन्नत कार्मिकों को जारी नियुक्ति पत्र का दिनांक अंकित किया गया है। अतः निवेदन है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को संशोधित करने की कृपा करें। 2. महोदय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि 26. The seniority of the petitioner no. 1 on the post of Junior Engineer (technical) shall be counted with effect from 03.01.2008 and the seniority of petitioner no. 2 shall be counted on the post of Junior Engineer (Technical) with effect from 20.05.2011 अर्थात याचीगण के विभाग में नियुक्ति की तिथि जो क्रमशः दिनांक 03. 01.2008 एवं दिनांक 20.05.2011 है के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जाय, किन्तु आप द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में चयन वर्ष के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है, अवगत कराना है कि उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग–2 के बिन्दु सं0 8 (1) के अनुसार "जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं, 3. प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति का आदेश माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।" महोदय उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग–2 के बिन्दु सं0 8 (1) में स्पष्ट है कि ज्येष्ठता केवल मौलिक नियुक्ति के दिनांक अथवा नियुक्ति के आदेश में ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो उस दिनांक से प्रदान की जायेगी, किन्तु जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उक्त नियमावली का अनुपालन न करते हुए चयन वर्ष को आधार मानते हुये क्रमांक 120 से 125 तक के कार्मिकों की वरिष्ठता प्रार्थी क्रमांक (131) से पहले कर दी गयी है, जो कि पूर्णतः अनुचित है।	आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 11.06.2026 द्वारा अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में की गई आपत्ति जिसका सार कॉलम संख्या–4 पर अंकित किया गया है पर निम्नवत् विचार विमर्श किया गया। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल / प्राविधिक / विद्युत / यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 के भाग–3 बिन्दु संख्या–5 भर्ती के स्रोत में निम्न प्राविधान उल्लिखित है :– सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों / शासनादेशों में विहित हो। रिट याचिका संख्या 1404 / एस0एस0 / 2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के ज्ञाप संख्या 653 / 124 व्यध–सा0 / 2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी। जिसके क्रमांक–143 पर श्रीमती सरिता रावत, अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) का नाम अंकित है। उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के भाग–2 के बिन्दु सं0 8 (1) के अनुसार "जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं, प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनाक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति का आदेश माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनाक से होगा। किन्तु उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों का लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 104/08/E-2/DPC/लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07. 2018 द्वारा अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 588 / 191 व्यध–सामान्य / 17 दिनांक 10.08.2018 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। जबकि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 तक अंकित कार्मिकों का चयन लोक सेवा आयोग

1	2	3	4	5
			यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न पदोन्नत कार्मिकों के नियुक्ति आदेश में कोई भी विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट नही है अथवा पदोन्नति का लाभ किसी भी प्राकल्पिक (नोश्नल) तिथि से नहीं दिया गया है । 4. महोदय अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग–1 के पत्र संख्या 158006 / ।।।(1) / 2023–59217 / ई0एस0टी0 / 4 / 20 23, दिनांक 04 अक्टूबर 2023 द्वारा सीधी भर्ती / पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त / पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारण हेतु आमन्त्रित आपत्तियों का निराकरण किया गया है, जिसके क्रमांक 01 पर निराकरण आख्या में अंकित है कि "उल्लेखनीय है कि रिक्ति घटित होने के वर्ष की पूर्वता के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है"। तथा उक्त के आधार पर चयन वर्ष के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण हेतु आपत्ति /प्रत्यावेदन को शासन द्वारा अग्राह्य करते हुये अपने पत्र दिनांक 05.05.2025 द्वारा ज्येष्ठता सूची जारी कर दी गयी है। अतः पत्रांक–653 / 124 व्यघ–सा0 / 2026 दिनांक 29. 05.2026 द्वारा कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को उपरोक्तानुसार संशोधित करने की कृपा करें। 5. महोदय, ज्येष्ठता सूची में समस्त कार्मिके की मौलिक नियुक्ति तथा चयन वर्ष अंकित नही होने से ज्येष्ठता सूची में प्रार्थी की ज्येष्ठता निर्धारण में असमंजश की स्थिति बन रही है। अतः निवेदन है कि ज्येष्ठता सूची में समस्त कार्मिकों की मौलिक नियुक्ति तथा चयन वर्ष को स्पष्ट रुप से अंकित किया जाय। महोदय, उपरोक्त ज्येष्ठता सूची में न ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन किया गया है तथा न ही उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के भाग–2 के बिन्दु संख्या– 8(1) का अनुपालन किया गया है। एवं चयन वर्ष को आधार मानते हुये ज्येष्ठता सूची जारी की गयी है। जो कि सर्वथा अनुचित है। अतः अनुरोध है कि ज्येष्ठता को उपरोक्तानुसार संशोधित करने की कृपा करें।	के पत्र संख्या 322 / 19 / E-2/ अ0ई0 / डी0 आर0 / 2012–13 दिनाक 08.02.2018 को किया गया है जो कि उक्त कार्मिकों के अनुमोदन की तिथि दिनाक–17.07.2018 से पूर्व की है। अतः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 पर अंकित कार्मिकों की नियुक्ति की तिथि क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व की होने के कारण अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–127 से 148 पर अंकित कार्मिकों को उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार क्रमांक–120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व रखे की जाने की संस्तुति की जाती है।
15	श्रीमती किरन भट्ट / अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0) अस्थाई खण्ड, घनसाली	144	प्रार्थिनी को निम्न प्रकार आपत्तियाँ हैं:– महोदय मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं 1404 / 55 / 2020 के क्रम मे दिनांक 24.04.2026 को पारित आदेश द्वारा निर्णय दिया गया है कि Petitioner No- 01 एवं 02 को उनके कनिष्ठ अभियंता (प्रा०) पर नियुक्ति की तिथि (Date of Appoinment) क्रमशः 03.01.2008 एवं 20.05.2011 से ज्येष्ठता निर्धारित की जाय । अवगत कराना है कि उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम 8 के प्रविधानों के अनुसार ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अतः महोदय प्रार्थिनी (ज्येष्ठता क्रमांक 144) को ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि दिनांक–08.02.2018 (मा० लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन की तिथि) से प्रदान करने का कष्ट करें।	आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनाक 11.06.2026 द्वारा अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में की गई आपत्ति जिसका सार कॉलम संख्या–4 पर अंकित किया गया है पर निम्नवत् विचार विमर्श किया गया। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल / प्राविधिक / विद्युत / यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 के भाग–3 बिन्दु संख्या–5 भर्ती के स्रोत में निम्न प्राविधान उल्लिखित है :– सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदो पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों / शासनादेशों में विहित हो।

19

1	2	3	4	5
			महोदय उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियंता सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यात्रिक) सेवा नियमावली 2007 दिनांक 22.11. 2007 को जारी नियमावली के भाग -3 बिन्दु संख्या 5 भर्ती के स्रोत- सेवा मे विभिन्न श्रेणी के पदो पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा मा० लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन के ठीक पूर्व सुसंगत नियमों / शासनादेशों में निहित है। अर्थात मा० लोक सेवा आयोग के अनुमोदन /स्वीकृति के उपरान्त ज्येष्ठता सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप निर्गत की तिथि से जारी किये जायेंगे, के अनुपालन में अवगत कराना है कि अन्तिम ज्येष्ठता सूची मे प्रार्थिनी के ज्येष्ठता क्रमांक 144 से ऊपर क्रमाक 120 से 125 तक अंकित कार्मिकों जिनकी पदोन्नति हेतु स्वीकृति/अनुमोदन मा० लोक सेवा आयोग से दिनांक-17.07.2018 को प्राप्त हुआ है, तत्पश्चात् कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) के पद पर पदोन्नति के आदेश (प्रथम बार मा० लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन की तिथि दिनाक. 17.07.2018 के पश्चात्) दिनांक- 10.08.2018 को निर्गत किये गये हैं। क्योंकि प्रार्थिनी का लोक सेवा आयोग से अनुमोदन की तिथि दिनांक-08.02. 2018, उक्त कार्मिकों के अनुमोदन की तिथि दिनांक 17.07.2018 से पूर्व की है। अतः उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियंता सिविल, प्राविधिक विद्युत एवं यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 दिनांक 22.11.2007 के अनुसार प्रार्थिनी की ज्येष्ठता उक्त कार्मिकों के क्रमांक 120 से ठीक ऊपर रखने का कष्ट करें। अतः महोदय उक्तानुसार ज्येष्ठता सूची में संशोधन करने का कष्ट करें।	रिट याचिका संख्या 1404 / एस०एस० / 2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं मा० लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनाक 04.11.2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के ज्ञाप संख्या 653 / 124 व्यय-सा० / 2026 दिनांक 29.05.2026 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी। जिसके क्रमांक-144 पर श्रीमती किरन भट्ट, अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) का नाम अंकित है। उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के भाग-2 के बिन्दु सं० 8 (1) के अनुसार "जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं, प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति का आदेश माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा । किन्तु उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-120 से 125 पर अंकित कार्मिकों का लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 104/08/E-2/DPC/लो०नि०वि० / 2017-18 दिनांक 17.07. 2018 द्वारा अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 588 / 191 व्यय-सामान्य / 17 दिनाक 10.08.2018 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। जबकि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-127 से 148 तक अंकित कार्मिकों का चयन लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 322 / 19 / E-2/ जे०ई० / डी० आर० / 2012-13 दिनाक 08.02.2018 को किया गया है जो कि उक्त कार्मिकों के अनुमोदन की तिथि दिनाक-17.07.2018 से पूर्व की है। अतः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-127 से 148 पर अंकित कार्मिकों की नियुक्ति की तिथि क्रमांक-120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व की होने के कारण अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-127 से 148 पर अंकित कार्मिकों को उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार क्रमांक-120 से 125 पर अंकित कार्मिकों से पूर्व रखे जाने की संस्तुति की जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार समिति द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्या/निर्णय/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त, उक्त संस्तुति को स्वीकार करते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 एवं उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 में निहित संगत प्राविधानों तथा रिट याचिका संख्या 1404/एस0एस0/2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं निर्देश याचिका संख्या–40/डी0बी0/2021 राय सिंह रौतेला बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक–04.11.2024 तथा शासकीय पत्र संख्या 327640/ ।।। (1)/25–ई–84002 दिनांक 03.09.2025 के अनुपालन में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अन्तिम ज्येष्ठता (क्रमांक 01 से 148 तक) संलग्न सूची के अनुसार एतदद्वारा प्रख्यापित की जाती है।

संलग्नः–अन्तिम ज्येष्ठता सूची।
(क्रमांक–01 से 148 तक)

(इं0 राजेश चन्द्र)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि–सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची की प्रति सहित अपने अधीनस्थ कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के मध्य परिचारित करवाने हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

(2) समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

(3) समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

(4) अधिशासी अभियन्ता, विधि प्रकोष्ठ, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(5) अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची विभागीय वैबसाईट पर तत्काल अपलोड किये जाने हेतु।

संलग्न :–अन्तिम ज्येष्ठता सूची (कमांक 01 से 148 तक)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या–1404/एस0एस0/2020 दीप चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 एवं निर्देश याचिका संख्या 40/डी0बी0/2021 राय सिंह रौतेला बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची कमांक–01 से 148 तक।

(कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1008... /124 व्यघ–स0/09 दिनाक 25/7/26 का संलग्नक)

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक एवं चयन वर्ष	विभाग में नियुक्ति का पत्रांक/ दिनाक	सीधी भर्ती /पदोन्नति है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		भगवती प्रसाद नौटियाल	दयाराम नौटियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	08.12.59	सामान्य	–	–	17.08.81	सीधी भर्ती	दिनांक 31.12.19 को सेवानिवृत्त
2		कृष्ण सिंह गड़िया	जगत सिंह गड़िया	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	25.09.52	सामान्य	–	–	17.08.81	सीधी भर्ती	दिनांक 30.09.12 को सेवानिवृत्त
3		रमेश चन्द्र पसबोला	शिवदत्त पसबोला	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	30.11.54	सामान्य	–	–	17.08.81	सीधी भर्ती	दिनांक 31.11.14को सेवानिवृत्त
4		अनिल चन्द्र त्रिपाठी	कृष्ण चन्द्र त्रिपाठी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	20.03.58	सामान्य	–	–	17.08.81	सीधी भर्ती	दिनांक 31.03.18 को सेवानिवृत्त
5		पियूषपाल गर्ग	प्रेमप्रकाश गर्ग	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	16.10.56	सामान्य	–	–	17.08.81	सीधी भर्ती	दिनांक 31.10.16 को सेवानिवृत्त
6		आनन्द सिंह बिष्ट	दीवान सिंह बिष्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	15.06.57	सामान्य	–	–	17.08.81	सीधी भर्ती	दिनांक 30.06.17 को सेवानिवृत्त
7		कैलाश चन्द्र पन्त	मोहन चन्द्र पन्त	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	22.06.57	सामान्य	–	–	17.11.83	सीधी भर्ती	दिनांक 30.06.17 को सेवानिवृत्त
8		सतवीर सिंह	स्व0 रामचन्द्र सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	05.09.62	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–	09.02.84	सीधी भर्ती	दिनांक 30.09.22 को सेवानिवृत्त
9		श्रीकान्त शर्मा	कुलानन्द शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	01.07.69	सामान्य	–	–	11.01.85	सीधी भर्ती	–
10		विश्वनाथ सेमवाल	वासुदेव प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	01.01.63	सामान्य	–	–	11.01.85	सीधी भर्ती	मृत्यु
11		भुवन चन्द्र पन्त	मोहन चन्द्र पन्त	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	20.06.63	सामान्य	–	–	11.01.85	सीधी भर्ती	दिनांक 30.06.23 को सेवानिवृत्त

लोक सेवा आयोग का कमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक एवं चयन वर्ष	विभाग में नियुक्ति का पत्रांक/ दिनांक	सीधी भर्ती/पदोन्नति है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		ज्ञानेन्द्र पुण्डीर	गणेश लाल पुण्डीर	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	02.01.63	सामान्य	–	–	11.01.85	सीधी भर्ती	मृत्यु
13		राजेन्द्र प्रसाद जोशी	विशम्भर दत्त जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	15.01.63	सामान्य	–	–	11.01.85	सीधी भर्ती	दिनांक 31.03.23 को सेवानिवृत्त
14		विक्रम सिंह बिष्ट	वचन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	24.05.64	सामान्य	–	–	11.01.85	सीधी भर्ती	दिनांक 31.05.24 को सेवानिवृत्त
15		पूरण चन्द्र पन्त	गोकुलानन्द पन्त	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	01.05.58	सामान्य	–	–	30.04.85	सीधी भर्ती	दिनांक 30.04.18 को सेवानिवृत्त
16		गिरीश मोहन गोयल	सत्यप्रकाश गोयल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	11.04.61	सामान्य	–	–	30.04.85	सीधी भर्ती	दिनांक 30.04.21 को सेवानिवृत्त
17		राजू अधिकारी	हरी सिंह अधिकारी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	01.06.62	सामान्य	–	–	30.04.85	सीधी भर्ती	दिनांक 30.06.22 को सेवानिवृत्त
18		भुवन चन्द्र भण्डारी	चन्द्र दत्त भण्डारी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	02.11.62	सामान्य	–	–	30.04.85	सीधी भर्ती	दिनांक 31.11.22 को सेवानिवृत्त
19		जीत सिंह रावत	आसाढ सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	10.09.66	सामान्य	–	–	30.04.85	सीधी भर्ती	–
20		तारा चन्द्र जोशी	भोला दत्त जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	12.03.56	सामान्य	–	–	18.09.85	सीधी भर्ती	दिनांक 31.03.16 को सेवानिवृत्त
21		वीरेन्द्र सिंह बर्त्वाल	हुकुम सिंह बर्त्वाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	10.06.56	सामान्य	–	–	18.09.85	सीधी भर्ती	दिनांक 30.06.16 को सेवानिवृत्त
22		गिरीश चन्द्र बिनवाल	लीलाधर बिनवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	02.11.44	सामान्य	–	–	30.04.92	सीधी भर्ती	दिनांक 30.11.04 को सेवानिवृत्त
23		अनिल कुमार सिंघल	प्रेमनारायण सिंघल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	29.02.64	सामान्य	–	–	06.09.94	सीधी भर्ती	दिनांक 28.02.24 को सेवानिवृत्त
24		पूरन चन्द्र भट्ट	गोपाल दत्त भट्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	03.03.46	सामान्य	–	–	08.03.96	पदोन्नति	दिनांक 31.03.06 को सेवानिवृत्त
25		गिरीजा नन्दन तिवाड़ी	चन्द्र दत्त तिवाड़ी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	15.03.46	सामान्य	–	–	12.03.96	पदोन्नति	दिनांक 31.03.06 को सेवानिवृत्त
26		कैलाश चन्द्र जोशी	हीराबल्लभ जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	22.11.46	सामान्य	–	–	08.03.96	पदोन्नति	दिनांक 30.11.06 को सेवानिवृत्त
27		भगवन्त सिंह नेगी	स्व0 सौबन सिंह नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	27.10.47	सामान्य	–	–	13.09.96	पदोन्नति	दिनांक 31.10.07 को सेवानिवृत्त

	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री / श्रीमती / कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक एवं चयन वर्ष	विभाग में नियुक्ति का पत्रांक / दिनांक	सीधी भर्ती / पदोन्नति है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28		सुन्दर मणि शर्मा	दत्तदत्त शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	05.01.50	सामान्य	–	–	02.04.96 / 07.03.75	पदोन्नति	दिनांक 31.01.16 को सेवानिवृत्त
29		सुरेन्द्र सिंह नेगी	महताब सिंह नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	30.06.47	सामान्य	–	–	27.04.96 / 07.03.75	पदोन्नति	दिनांक 30.06.07 को सेवानिवृत्त
30		धाम सिंह राणा	सोबन सिंह राणा	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	15.12.53	सामान्य	–	–	02.97 / 24.12.73	पदोन्नति	दिनांक 31.12.13 को सेवानिवृत्त
31		नन्दन सिंह नेगी	जोगा सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	10.01.46	सामान्य	–	–	02.97 / 17.08.75	पदोन्नति	दिनांक 31.01.06 को सेवानिवृत्त
32		जगदीश प्रसाद नौटियाल	शेखरानन्द नौटियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	23.06.44	सामान्य	–	–	02 / 99	पदोन्नति	दिनांक 30.06.04 को सेवानिवृत्त
33		सुभाष चन्द मूदडा	ज्वालादत्त मूदडा	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	01.06.47	–	–	–	26.04.99	पदोन्नति	दिनांक 31.05.07 को सेवानिवृत्त
34		रमेश चन्द्र शर्मा	बच्ची राम	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	10.02.46	सामान्य	–	–	04 / 99	पदोन्नति	मृत्यु
35		रैठा सिंह नेगी	शेर सिंह नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	14.07.50	सामान्य	–	–	04 / 99 05.09.72	पदोन्नति	दिनांक 31.07.10 को सेवानिवृत्त
36		खुशाल मणि मैठाणी	कुलानन्द मैठाणी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	12.01.51	सामान्य	–	–	04 / 99 05.09.72	पदोन्नति	दिनांक 31.01.11 को सेवानिवृत्त
37		नवीन चन्द्र पुरोहित	पुरुषोत्तम पुरोहित	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	10.02.50	सामान्य	–	–	01.05.99 / 01.02.73	पदोन्नति	दिनांक 28.02.10 को सेवानिवृत्त
38		तारा सिंह मेहरा	जीत सिंह मेहरा	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	02.03.49	सामान्य	–	–	26.04.99	पदोन्नति	दिनांक 31.03.09 को सेवानिवृत्त
39		सुनील लाल शाह	पूरन लाल शाह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	05.03.62	–	–	–	22.04.99	पदोन्नति	स्वैच्छिक सेवानिवृत्त
40		आनन्दी प्रसाद जुगरान	विष्णु दत्त	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	15.01.52	सामान्य	–	–	04 / 99 16.02.73	पदोन्नति	दिनांक 31.01.12 को सेवानिवृत्त
41		हरी सिंह कर्त्याल	मदान सिंह कर्त्याल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	10.06.51	सामान्य	–	–	22.04.1999 / 15.03.73	पदोन्नति	दिनांक 30.06.11 को सेवानिवृत्त
42		तिलक राज खुराना	निक्कूराम खुराना	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	03.04.53	–	–	–	04 / 99 04.06.73	पदोन्नति	दिनांक 30.04.13 को सेवानिवृत्त
43		नारायण सिंह रावत	मान सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	03.04.48	–	–	–	04 / 99	पदोन्नति	दिनांक 30.04.08 को सेवानिवृत्त

	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री / श्रीमती / कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक एवं चयन वर्ष	विभाग में नियुक्ति का पत्रांक / दिनांक	सीधी भर्ती / पदोन्नति है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44		भीष्म लाल सेठी	रामलाल सेठी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	17.05.46	–	–	–	04 / 99	पदोन्नति	दिनांक 31.05.06 को सेवानिवृत्त
45		घनश्याम पन्त	रतिराम	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	10.10.49	–	–	–	22.04.99 / 06.07.73	पदोन्नति	दिनांक 31.10.09 को सेवानिवृत्त
46		रमेश चन्द्र तिवाड़ी	केवलानन्द तिवाड़ी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	20.01.53	–	–	–	22.04.99 / 06.07.73	पदोन्नति	दिनांक 31.01.13 को सेवानिवृत्त
47		सुरेश चन्द्र तिवाड़ी	बद्रीदत्त तिवाड़ी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	13.03.47	सामान्य	–	–	05 / 99	पदोन्नति	दिनांक 31.03.07 को सेवानिवृत्त
48		ठाकुर सिंह तिलारा	नर सिंह तिलारा	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	05.01.49	सामान्य	–	–	22.04.99	पदोन्नति	दिनांक 31.01.09 को सेवानिवृत्त
49		जमुना प्रसाद भट्ट	नारायण दत्त	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	12.08.54	सामान्य	–	–	22.04.1999 / 15.11.73	पदोन्नति	दिनांक 31.08.14 को सेवानिवृत्त
50		चन्द्र किशोर देउपा	पुष्कर सिंह देउपा	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	13.12.47	–	–	–	04.04.99	पदोन्नति	दिनांक 31.12.07 को सेवानिवृत्त
51		प्रदीप कुमार मुखर्जी	प्रमोद कुमार मुखर्जी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	20.04.51	–	–	–	04 / 99 15.12.73	पदोन्नति	दिनांक 30.04.11 को सेवानिवृत्त
52		भगवती प्रसाद डिमरी	नारायण दत्त डिमरी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	16.10.47	–	–	–	04 / 99	पदोन्नति	दिनांक 30.10.07 को सेवानिवृत्त
53		अनुसूया प्रसाद खण्डूड़ी	शिवादत्त खण्डूड़ी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	04.03.50	सामान्य	–	–	27.03.01 / 01.08.78	पदोन्नति	दिनांक 31.03.10 को सेवानिवृत्त
54		विनोद प्रसाद टम्टा	बिशन लाल टम्टा	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	01.01.56	अनुसूचित जाति	–	–	29.04.99 / 26.12.86	पदोन्नति	दिनांक 31.12.15 को सेवानिवृत्त
55		बलवन्त सिंह पंवार	स्व0 प्रीतम सिंह पवार	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	21.11.54	सामान्य	–	–	19.06.02 / 29.12.73	पदोन्नति	दिनांक 30.11.14 को सेवानिवृत्त
56		कमल गोयल	सी0एल0 गोयल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	13.12.64	–	–	–	10.08.04	सीधी भर्ती	दिनांक 31.12.24 को सेवानिवृत्त
57		गोविन्द बल्लभ जोशी	नन्दा बल्लभ जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	21.06.68	सामान्य	–	–	10.08.04	सीधी भर्ती	–
58		इस्माईल अहमद शेख	जलालुद्दीन शेख	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	01.02.69	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–	15.10.04	सीधी भर्ती	–

क्र0	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक एवं चयन वर्ष	विभाग में नियुक्ति का पत्रांक/ दिनांक	सीधी भर्ती /पदोन्नति है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59		राजेन्द्र कुमार	अमर सिंह पाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	19.06.66	अन्य पिछडा वर्ग	–	–	30.10.04	सीधी भर्ती	–
60		अनिल कुमार सैनी	रोडा सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	05.05.78	अन्य पिछडा वर्ग	–	–	12.10.04	सीधी भर्ती	–
61		हेमराज	जौहरी लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	20.07.77	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	–	15.11.04	सीधी भर्ती	–
62		महेश कुमार	गणेश लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	04.05.73	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	–	12.10.04	सीधी भर्ती	–
63		महेश्वर राम	गनेशल राम	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	25.07.75	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	–	12.10.04	सीधी भर्ती	–
64	67	प्रकाश चन्द्र	गिरीश चन्द्र	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	20.01.71	सामान्य	सामान्य	पत्रांक– 47/9/अतिगोपन/2002–03 दिनांक 15.05.2004 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्त	28.10.2005 (प्रा0) (पद परिवर्तन द्वारा) 10.08.04 (सि0)	सीधी भर्ती	–
65	200	अनुपम राय	स्व0 गोरी दत्त राय	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	10.12.72	सामान्य	सामान्य	पत्रांक– 47/9/अतिगोपन/2002–03 दिनांक 15.05.2004 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्त	28.10.2005 (प्रा0) (पद परिवर्तन द्वारा) 10.08.04 (सि0)	सीधी भर्ती	–
66	63	श्री राजीव लोचन पान्डे	चन्द्र दत्त पान्डे	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	15.05.66	सामान्य	सामान्य	पत्रांक– 47/9/अतिगोपन/2002–03 दिनांक 15.05.2004 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्त	12.06.06 (प्रा0) (पद परिवर्तन द्वारा) 10.08.04 (सि0)	सीधी भर्ती	–
67	73	प्रवीन कुश	बृज कुमार कुश	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	22.12.78	सामान्य	–	पत्रांक– 47/9/अतिगोपन/2002–03 दिनांक 15.05.2004 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्त	12.06.06 (प्रा0) (पद परिवर्तन द्वारा) 10.08.04 (सि0)	सीधी भर्ती	–
68	74	धर्मपाल सिंह नेगी	रान सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	02.05.71	सामान्य	–	पत्रांक– 47/9/अतिगोपन/2002–03 दिनांक 15.05.2004 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्त	12.06.06 (प्रा0) (पद परिवर्तन द्वारा) 10.08.04 (सि0)	सीधी भर्ती	–
69		राय सिंह रौतेला	वी0एस0 रौतेला	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	09.06.62	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2006–07	पत्रांक– 571/63 जे0ई0टी0– सामान्य /07 दिनांक 17.05.07	पदोन्नति	दिनांक 30.06.22 को सेवानिवृत्त

	क सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री / श्रीमती / कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक एवं चयन वर्ष	विभाग में नियुक्ति का पत्रांक / दिनांक	सीधी भर्ती / पदोन्नति है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70		खुशी राम बगवाल	राम प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	12.09.54	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2006–07	पत्रांक– 1610 / 63 जे0ई0टी0 / 07 दिनाक 17.05.07	पदोन्नति	दिनांक 30.09.14 को सेवानिवृत्त
71		निरंजन कुमार शाह	सत्यप्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	02.07.61	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2007–08	पत्रांक– 3653 / 63 जे0ई0टी0 / 07 दिनांक 29.12.2007	पदोन्नति	दिनांक 31.07.21 को सेवानिवृत्त
72		दीपचन्द्र जोशी	आनन्द बल्लभ जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	02.06.66	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2007–08	पत्रांक– 32 / 63 जे0ई0टी0 / 07 दिनांक 03.01.2008	पदोन्नति	–
73	–	रमेश चन्द्र सिंह रावत	लक्ष्मण सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	25.05.67	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2007–08	पत्रांक– 2988 / 63 जे0ई0टी0 / 09 दिनांक 24.10.09	मानचित्रकार से पदोन्नति	–
74	–	राजेन्द्र प्रसाद	नर राम	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	02.05.73	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2011–12	पत्रांक– 847 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 20.06.2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	–
75	3	राकेश कुमार	भास्कर प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	01.07.77	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 1661/04 /E-2/2005-06 dated 26-09-11 संशोधित आदेश संख्या– 3193/04 /J.E-2/2005-06 dated 12-03-12	1459 / 28व्यघ–सा0 / 11 दिनांक 08.10. 2011	सीधी भर्ती	–
76	5	हरि मोहन जोशी	चन्द्रभूषण जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	27.06.79	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 1661/04 /E-2/2005-06 dated 26-09-11 संशोधित आदेश संख्या– 3193/04 /J.E-2/2005-06 dated 12-03-12	1459 / 28व्यघ–सा0 / 11 दिनांक 08.10. 2011	सीधी भर्ती	–
77	7	मधुबाला पंवार	रविन्द्र सिंह पवार	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	07.07.84	सा0 / उ0महि0	सा0 / उ0महि0	पंत्राक 1661/04 /E-2/2005-06 dated 26-09-11 संशोधित आदेश संख्या– 3193/04 /J.E-2/2005-06 dated 12-03-12	1465 / 28 व्यघ–सा0 / 11 दिनांक 15.10. 11	सीधी भर्ती	–
78	10	रीता नेगी गुसांई	विकास गुसांई	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	01.06.85	सा0 / उ0महि0	सा0 / उ0महि0	पंत्राक 1661/04 /E-2/2005-06 dated 26-09-11 संशोधित आदेश संख्या– 3193/04 /J.E-2/2005-06 dated 12-03-12	1459 / 28व्यघ–सा0 / 11 दिनांक 08.10. 2011	सीधी भर्ती	–

लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री / श्रीमती / कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक एवं चयन वर्ष	विभाग में नियुक्ति का पत्रांक / दिनांक	सीधी भर्ती / पदोन्नति है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	11	संगीता धानिक	जीवन सिंह धानिक	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	15.06.84	सा0 / उ0महि0	सा0 / उ0महि0	पंत्राक 1661/04 /E-2/2005-06 dated 26-09-11 संशोधित आदेश संख्या– 3193/04 /J.E-2/2005-06 dated 12-03-12	1459/28व्यय-सा0/11 दिनांक 08.10 2011	सीधी भर्ती	-
80	12	ममता गोस्वामी	हीरागिरी गोस्वामी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	02.11.84	अ0पि0वर्ग / उ0महि0	अ0पि0वर्ग / उ0महि0	पंत्राक 1661/04 /E-2/2005-06 dated 26-09-11 संशोधित आदेश संख्या– 3193/04 /J.E-2/2005-06 dated 12-03-12	1459/28व्यय-सा0/11 दिनांक 08.10 2011	सीधी भर्ती	-
81	15	सुशील कुमार कुरील	महेन्द्र सिंह कुरील	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	24.02.86	अनु0जाति	अनु0जाति	पंत्राक 1661/04 /E-2/2005-06 dated 26-09-11 संशोधित आदेश संख्या– 3193/04 /J.E-2/2005-06 dated 12-03-12	1459/28व्यय-सा0/11 दिनांक 08.10 2011	सीधी भर्ती	-
82	16	रोशन लाल	झापुलिया	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	02.05.85	अनु0जाति	अनु0जाति	पंत्राक 1661/04 /E-2/2005-06 dated 26-09-11 संशोधित आदेश संख्या– 3193/04 /J.E-2/2005-06 dated 12-03-12	215/28 व्यय-सा0/12 दिनांक 11.05 2012	सीधी भर्ती	-
83	17	सुभाष राम आर्य	गंगा राम आर्य	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	17.03.82	अनु0जाति	अनु0जाति	पंत्राक 1661/04 /E-2/2005-06 dated 26-09-11 संशोधित आदेश संख्या– 3193/04 /J.E-2/2005-06 dated 12-03-12	178/28 व्यय-सा0/12 दिनांक 30.04.12	सीधी भर्ती	-
84	18	शरण सिंह राय	जाल सिंह राय	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	10.10.80	अनु0जन जाति	अनु0 जनजाति	पंत्राक 1661/04 /E-2/2005-06 dated 26-09-11 संशोधित आदेश संख्या– 3193/04 /J.E-2/2005-06 dated 12-03-12	178/28 व्यय-सा0/12 दिनांक 30.04.12	सीधी भर्ती	-
85	19	हरीश सिंह मर्तोलिया	जगत सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	15.03.74	अनु0जन जाति	अनु0 जनजाति	पंत्राक 1661/04 /E-2/2005-06 dated 26-09-11 संशोधित आदेश संख्या– 3193/04 /J.E-2/2005-06 dated 12-03-12	178/28 व्यय-सा0/12 दिनांक 30.04.12	सीधी भर्ती	-
86	-	राम सिंह भण्डारी	हयात सिंह भण्डारी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	10.07.62	अ0पि0 वर्ग	अ0पि0 वर्ग	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638/83 जे0ई0टी0–सामान्य/11 दिनांक 24.12. 2011	कार्यप्रभारित से पदोन्नति	दिनांक 31.07.22 को सेवानिवृत्त
87	-	हरि विलास गुसांई	दिलवर सिंह गुसांई	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	06.10.62	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638/83 जे0ई0टी0–सामान्य/11 दिनांक 24.12. 2011	कार्यप्रभारित से पदोन्नति	दिनांक 30.06.22 को सेवानिवृत्त

लोक सेवा आयोग का क्रमांक		नाम (सर्व श्री / श्रीमती / कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक एवं चयन वर्ष	विभाग में नियुक्ति का पत्रांक / दिनांक	सीधी भर्ती / पदोन्नति है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	–	दिनेश चन्द्र सुन्दियाल	चिन्ता मणी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	20.05.59	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 24.12. 2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.05.19 को सेवानिवृत्त
89	–	जालम सिंह जगवाण	उमराव सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	25.08.60	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 24.12. 2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.08.20 को सेवानिवृत्त
90	–	पूरन सिंह नेगी	मान सिंह नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	25.10.58	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 24.12. 2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.10.18 को सेवानिवृत्त
91	–	मनोहर सिंह	डुंगर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	25.08.58	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 24.12. 2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.08.18 को सेवानिवृत्त
92	–	दिनेश कुमार कुलौरिया	स्व0 सतेश्वर प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	04.01.62	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 24.12. 2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 26.10.2021 को मृत्यु
93	–	हरीश चन्द्र जोशी	धर्मानन्द जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	01.07.60	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 24.12. 2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.07.20 को सेवानिवृत्त
94	–	हरी लाल	स्व0 मोहन लाल उर्फ सौणु	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	20.03.62	अनु0जाति	अनु0जाति	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 24.12. 2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.03.22 को सेवानिवृत्त
95	–	सूरज प्रकाश नौटियाल	रघुनन्दन नौटियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	02.05.60	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 24.12. 2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.05.20 को सेवानिवृत्त

लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री / श्रीमती / कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक एवं चयन वर्ष	विभाग में नियुक्ति का पत्रांक / दिनांक	सीधी भर्ती / पदोन्नति है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	–	गजपाल सिंह भण्डारी	स्व0 चन्द्र सिंह भण्डारी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	10.09.62	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 24.12 2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 30.09.22 को सेवानिवृत्त
97	–	रामचन्द्र बडोनी	शिव प्रसाद बडोनी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	01.01.61	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 24.12 2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.01.21 को सेवानिवृत्त
98	–	हरि सिंह नेगी	कुंदर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	06.02.65	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 24.12 2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 28.02.25 को सेवानिवृत्त
99	–	चक्रधर प्रसाद कोठारी	कमलेश्वर प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	30.03.61	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 24.12 2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.03.21 को सेवानिवृत्त
100	–	जयदीप सिंह कठैत	दयाल सिंह कठैत	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	02.10.65	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 24.12 2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.10.25 को सेवानिवृत्त
101	–	जोगाराम	देबनराम	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	25.03.66	अनु0जाति	अनु0जाति	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 24.12 2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.03.2026 को सेवानिवृत्त
102	–	दीवान चन्द्र	माध्योराम	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	05.12.70	अनु0जाति	अनु0जाति	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	पत्रांक– 1638 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 11 दिनांक 24.12 2011	मानचित्रकार से पदोन्नति	
103	–	हरि सिंह	बहादुर सिंह भण्डारी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	17.12.58	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	374 / 63 जे0ई0टी0–सामान्य / 2013 दिनांक 27.05.2013	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.12.2018 को सेवानिवृत्त

	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री / श्रीमती / कु०)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक एवं चयन वर्ष	विभाग में नियुक्ति का पत्रांक / दिनांक	सीधी भर्ती / पदोन्नति है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	–	नारायण सिंह	अमर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०)	01.09.60	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो०नि०वि० / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	374 / 63 जे०ई०टी०–सामान्य / 2013 दिनांक 27.05.2013	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 30.09.20 को सेवानिवृत्त
105	–	सन्तोष सिंह नेगी	गोविन्द सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०)	16.03.65	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो०नि०वि० / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	374 / 63 जे०ई०टी०–सामान्य / 2013 दिनांक 27.05.2013	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.03.25 को सेवानिवृत्त
106	–	कौस्तुभानन्द कर्नाटक	मथुरा दत्त कर्नाटक	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०)	15.07.63	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो०नि०वि० / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	374 / 63 जे०ई०टी०–सामान्य / 2013 दिनांक 27.05.2013	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.07.2023 को सेवानिवृत्त
107	–	ऋषिराम लसियाल	विद्यादत्त लसियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०)	12.10.62	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो०नि०वि० / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	374 / 63 जे०ई०टी०– सामान्य / 2013 दिनांक 27.05.2013	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 30.10.22 को सेवानिवृत्त
108	–	लक्ष्मी प्रसाद चमोली	दयानन्द	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०)	25.03.63	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो०नि०वि० / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	374 / 63 जे०ई०टी०– सामान्य / 2013 दिनांक 27.05.2013	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.03.23 को सेवानिवृत्त
109	–	देवपाल सिंह रावत	कीर्ति सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०)	22.08.66	सामान्य	सामान्य (विकलांग)	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो०नि०वि० / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	374 / 63 जे०ई०टी०– सामान्य / 2013 दिनांक 27.05.2013	मानचित्रकार से पदोन्नति	–
110	–	राजेन्द्र प्रसाद नौटियाल	जगदीश प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०)	03.11.61	सामान्य	सामान्य	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो०नि०वि० / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	374 / 63 जे०ई०टी० –सामान्य / 2013 दिनांक 27.05.2013	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.11.21 को सेवानिवृत्त
111	–	रवि शंकर वर्मा	हरि प्रकाश वर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०)	15.03.61	अ०पि० वर्ग	अ०पि० वर्ग	पंत्राक 104/08 /E-2/DPC /लो०नि०वि० / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	374 / 63 जे०ई०टी०–सामान्य / 2013 दिनांक 27.05.2013	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.11.21 को सेवानिवृत्त

लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक एवं चयन वर्ष	विभाग में नियुक्ति का पत्रांक/ दिनाक	सीधी भर्ती /पदोन्नति है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	–	दिगम्बर प्रसाद मैठाणी	शम्भू प्रसाद मैठाणी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	05.03.61	सामान्य	सामान्य	पत्रांक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	374/ 63 जे0ई0टी0–सामान्य /2013 दिनांक 27.05.2013	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनाक 31.11.21 को सेवानिवृत्त
113	–	जगदीश चन्द्र तिवारी	गोविन्द बल्लभ तिवारी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	19.10.63	सामान्य	सामान्य	पत्रांक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	374/ 63 जे0ई0टी0–सामान्य /2013 दिनांक 27.05.2013	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनाक 30.10.23 को सेवानिवृत्त
114	–	बृजमोहन शर्मा	मुसद्दी लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	01.09.66	सामान्य	सामान्य	पत्रांक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	374/ 63 जे0ई0टी0–सामान्य /2013 दिनांक 27.05.2013	मानचित्रकार से पदोन्नति	
115	–	जगदीश चन्द्र भट्ट	कृष्णानन्द भट्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	05.09.63	सामान्य	सामान्य	पत्रांक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	374/ 63 जे0ई0टी0–सामान्य /2013 दिनांक 27.05.2013	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनाक 30.09.23 को सेवानिवृत्त
116	–	रमेश चन्द्र पन्त	स्व0 प्रेम बल्लभ पन्त	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	27.06.68	सामान्य	सामान्य	पत्रांक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	374/ 63 जे0ई0टी0–सामान्य /2013 दिनांक 27.05.2013	मानचित्रकार से पदोन्नति	
117	–	अरविन्द कुमार रतूड़ी	भुवनेश्वर प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	14.06.67	सामान्य	सामान्य	पत्रांक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	374/ 63 जे0ई0टी0–सामान्य /2013 दिनांक 27.05.2013	मानचित्रकार से पदोन्नति	
118	–	लाल बहादुर	स्वरुप चन्द	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	07.07.66	अ0पि0 वर्ग	अ0पि0 वर्ग	पत्रांक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	95 /63 जे0ई0टी0–सामान्य/2013 दिनांक 08.02.2014	मानचित्रकार से पदोन्नति	
119	–	त्रिदेश कुमार	राम जी लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	12.08.64	अ0पि0 वर्ग	अ0पि0 वर्ग	पत्रांक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2013–14	95 /63 जे0ई0टी0–सामान्य/2013 दिनांक 08.02.2014	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनाक 05.03.23 को मृत्यु

	क सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री / श्रीमती / कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक एवं चयन वर्ष	विभाग में नियुक्ति का पत्रांक / दिनांक	सीधी भर्ती / पदोन्नति है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	–	कैलाश चन्द नौटियाल	स्व0 श्री छोटेलाल नौटियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	03.01.78	सामान्य	सामान्य	–	शासनादेश संख्या 894 / III (i)/18–49(अधिष्ठान)/2011 टी0सी0 दिनांक 29.06.2018 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या– 475/28 व्यय–सा0/16 दिनांक 29.06.18 के द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक के पद पर पद परिवर्तन किया गया।	पदोन्नत/ पद परिवर्तन	लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के पत्रांक 27/09/ई–2/लो0नि0 वि0/कनि0अभि0/पदो /2015–16 दिनांक 25 04.2017 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 277/20 व्यय–सामान्य/17 दिनांक 03 05.2017 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नत
121	1	अंकित भट्ट	श्री कालिका प्रसाद भट्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	28.12.89	सामान्य	सामान्य	पत्रांक:– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पत्र संख्या–689/28(1) व्यय–सामान्य/18 दिनांक 04.09.18	सीधी भर्ती	–
122	2	नीरज जोशी	श्री भोलादत्त जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	05.12.91	सामान्य	सामान्य	पत्रांक:– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पत्र संख्या– 476/ 28(1) व्यय–सा0/16 दिनांक 29.06.18	सीधी भर्ती	–
123	3	विजय पाण्डेय	श्री हेम चन्द्र पाण्डेय	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	09.04.93	सामान्य	सामान्य	पत्रांक:– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पत्र संख्या– 483/ 28(1) व्यय–सा0/16 दिनांक 03.07.18	सीधी भर्ती	–
124	4	प्रेम सिंह	श्री खड़क सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	30.07.90	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	पत्रांक:– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पत्र संख्या– 539/ 28(1) व्यय–सा0/16 दिनांक 24.07.18	सीधी भर्ती	–
125	5	सुरेश चन्द्र कुठारी	डुगर देव कुठारी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	21.06.92	सामान्य	सामान्य	पत्रांक:– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पत्र संख्या– 483/ 28(1) व्यय–सा0/16 दिनांक 03.07.18	सीधी भर्ती	–
126	7	महिपाल सिंह रौतेला	पूरन सिंह रौतेला	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	10.08.93	सामान्य	सामान्य	पत्रांक:– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पत्र संख्या– 539/ 28(1) व्यय–सा0/16 दिनांक 24.07.18	सीधी भर्ती	–
127	8	संजीव कुमार पाल	कर्मवीर पाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	28.06.88	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	पत्रांक:– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पत्रांक– 476/ 28(1) व्यय–सा0/16 दिनांक 29.06.18	सीधी भर्ती	–

	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक एवं चयन वर्ष	विभाग में नियुक्ति का पत्रांक/ दिनांक	सीधी भर्ती /पदोन्नति है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	9	दीपक बहुगुणा	रामकृष्ण बहुगुणा	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	05.08.92	सामान्य	सामान्य	पत्रांकः– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पंत्राक– 476/ 28(1) व्यघ–स0/16 दिनांक 29.06.18	सीधी भर्ती	–
129	10	संजय राणा	राजपाल सिंह राणा	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	20.06.92	सामान्य	सामान्य	पत्रांकः– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पंत्राक– 476/ 28(1) व्यघ–स0/16 दिनांक 29.06.18	सीधी भर्ती	–
130	11	सुनील कुमार	राधे श्याम	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	15.09.88	सामान्य	सामान्य	पत्रांकः– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पंत्राक– 689/ 28(1) व्यघ–स0/16 दिनांक 04.09.18	सीधी भर्ती	–
131	12	मयूर शाह	विजय पाल शाह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	12.03.93	सामान्य	सामान्य	पत्रांकः– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पंत्राक– 503/ 28(1) व्यघ–स0/16 दिनांक 09.07.18	सीधी भर्ती	–
132	13	प्रदीप सिंह रौथाण	रघुवीर सिंह रौथाण	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	03.06.90	सामान्य	सामान्य	पत्रांकः– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पंत्राक– 483/ 28(1) व्यघ–स0/16 दिनांक 03.07.18	सीधी भर्ती	–
133	14	अंकुर नौटियाल	घनश्याम नौटियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	04.07.93	सामान्य	सामान्य	पत्रांकः– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पंत्राक– 503/ 28(1) व्यघ–स0/16 दिनांक 09.07.18	सीधी भर्ती	–
134	15	किरन मेहरा	नारायण सिंह मेहरा	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	08.03.92	सामान्य	सामान्य/ उ0महिला	पत्रांकः– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पंत्राक– 503/ 28(1) व्यघ–स0/16 दिनांक 09.07.18	सीधी भर्ती	–
135	16	पल्लवी चौधरी	हरीश लाल चौधरी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	28.12.91	सामान्य	सामान्य/ उ0महिला	पत्रांकः– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पंत्राक– 503/ 28(1) व्यघ–स0/16 दिनांक 09.07.18	सीधी भर्ती	–
136	17	पूजा जुयाल	रमेश दत्त जुयाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	29.03.89	सामान्य	सामान्य/ उ0महि0	पत्रांकः– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पंत्राक– 483/ 28(1) व्यघ–स0/16 दिनांक 03.07.18	सीधी भर्ती	–
137	18	ललिता	शिवचरण सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	10.06.90	सामान्य	सामान्य /उ0महिला	पत्रांकः– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पंत्राक– 689/ 28(1) व्यघ–स0/16 दिनांक 04.09.18	सीधी भर्ती	–
138	19	किरन भट्ट	विजय राम भट्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	06.06.92	सामान्य	सामान्य/उ0महिला	पत्रांकः– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पंत्राक– 483/ 28(1) व्यघ–स0/16 दिनांक 03.07.18	सीधी भर्ती	–
139	20	अरविन्द कुमार	सन्तोष कुमार यादव	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	04.04.85	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	पत्रांकः– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पंत्राक– 483/ 28(1) व्यघ–स0/16 दिनांक 03.07.18	सीधी भर्ती	–
140	21	अनुज सिंह	सत्ये सिंह महर	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	03.07.90	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	पत्रांकः– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पंत्राक– 483/ 28(1) व्यघ–स0/16 दिनांक 03.07.18	सीधी भर्ती	–
141	22	सचिन कुमार	चमन लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	06.03.86	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	पत्रांकः– 322/19/E-2/जे0ई0/डी0आर0/2012–13 दिनांक 08.02.2018	पंत्राक– 539/ 28(1) व्यघ–स0/16 दिनांक 24.07.18	सीधी भर्ती	–

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री / श्रीमती / कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	लोक सेवा आयोग का चयन पत्रांक एवं चयन वर्ष	विभाग में नियुक्ति का पत्रांक / दिनांक	सीधी भर्ती / पदोन्नति है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	25	गिन्नी पालीवाल	सत्यपाल पालीवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	03.10.91	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति / उ0म हि0	पत्रांक– 322 / 19 / E-2/जे0ई0 / डी0आर0 / 2012–13 दिनांक 08.02.2018	पत्रांक– 483 / 28(1) व्यय–रू0 / 18 दिनांक 03.07.18	सीधी भर्ती	–
143	–	कुन्दन सिंह	श्री देव सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	14.05.68	सामान्य	सामान्य	पत्रांक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2016–17	पत्र संख्या– 588 / 191 व्यय–सामान्य / 17 दिनांक 10.08.2018	मानचित्रकार से पदोन्नति	
144	–	अतुल कुमार शर्मा	स्व0 श्री मथुरा दत्त शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	06.03.78	सामान्य	सामान्य	पत्रांक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2016–17	पत्र संख्या– 588 / 191 व्यय–सामान्य / 17 दिनांक 10.08.2018	मानचित्रकार से पदोन्नति	
145	–	दीपक सिंह तोमर	श्री सुखपाल सिंह तोमर	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	28.08.63	सामान्य	सामान्य	पत्रांक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2016–17	पत्र संख्या– 588 / 191 व्यय–सामान्य / 17 दिनांक 10.08.2018	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.08.2023 को सेवानिवृत्त
146	–	विकास बिष्ट	स्व0 श्री मनवर सिंह बिष्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	06.06.80	सामान्य	सामान्य	पत्रांक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2016–17	पत्र संख्या– 588 / 191 व्यय–सामान्य / 17 दिनांक 10.08.2018	मानचित्रकार से पदोन्नति	
147	–	नितिन व्यास	स्व0 श्री जगदीश व्यास	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	06.06.80	सामान्य	सामान्य	पत्रांक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2016–17	पत्र संख्या– 588 / 191 व्यय–सामान्य / 17 दिनांक 10.08.2018	मानचित्रकार से पदोन्नति	
148	–	सुरेन्द्र कुमार	श्री जयानन्द	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	20.01.65	सामान्य विकलांग	सामान्य विकलांग	पत्रांक 104/08 /E-2/DPC /लो0नि0वि0 / 2017–18 दिनांक 17.07.2018 चयन वर्ष 2016–17	पत्र संख्या– 588 / 191 व्यय–सामान्य / 17 दिनांक 10.08.2018	मानचित्रकार से पदोन्नति	दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून